

Scapia Federal Credit Card Card Holder Agreement and General Terms & Conditions

issued by

Federal Bank

Introduction

These Scapia Federal Credit Card General Terms and Conditions (General Card Terms) apply to the **Credit Card** issued by Federal Bank, a Banking company constituted under Banking Regulation Act, 1949 having its registered office at Federal Towers, Aluva, Kerala (Bank) in partnership with its co-branding partner Scapia Technology Private Limited, having its registered office at 2nd floor, Tower B, Mantri Commercio, Kariyammana Agrahara, Bellandur, Bengaluru, Karnataka 560103 (**Scapia**). The said Co-branded Credit Card shall herein after be referred as **Scapia Federal Credit Card**. Under this arrangement, Scapia is Marketing and Distributing the Scapia Federal Credit Cards issued by Federal Bank.

The General Card Terms are an electronic record in terms of the Information Technology Act, 2000 and rules made thereunder as applicable. The Terms are: (i) published in accordance with the provisions of Rule 3(1)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 and (ii) generated by a computer system and does not require any physical, electronic, or digital signatures from Scapia or the Bank.

These Terms presently in force were last updated on **01st Jun, 2026** and are subject to changes from time to time. The most recent version will always be available on this website. It shall be your responsibility to check the General Card Terms periodically for changes. Your continued usage of the Scapia Federal Credit Card shall signify your consent to such changes and agreement to be legally bound by the same.

Pursuant to the approval of an application for a Scapia Federal Credit Card, you (“**you**” or “**your**” or “**yourself**” or “**customer**” or “**user**” as the context requires) hereby agree to the following:

- a) The use of Scapia Federal Credit Card shall be governed by these General Card Terms contained herein and the Most Important Terms & Conditions (“**MITC**”) referred to in the application form , as amended by the Bank from time to time.
- b) If the General Card Terms or the MITC are not acceptable to You, You will inform us in writing and destroy (by cutting) the Scapia Federal

Credit Card and return the same to us within 30 (thirty) days of receipt of the Scapia Federal Credit Card.

Definitions

1. **“Application/App”** means the Scapia digital and mobile application, through which you can avail services offered by Scapia, including applying for a Scapia Federal Credit Card and control all aspects of the Scapia Federal Credit Card;
2. **“App PIN”** means the Personal Identification Number created by the Card member on the Application, to protect and secure through a password.
3. **“Additional Credit Card”** or **“Add-on Credit Card”** shall mean a Credit Card issued to an additional Card Member on the request of the Primary Card Member.
4. **“Additional Card Member”** or **“Add-on Cardholder”** shall mean an individual who is a resident Indian / NRI / Foreign national working in India and a member of the immediate family of Primary Card Member viz. spouse, brothers, sisters, parents and parent in-laws who is above the age of 18 years to whom an Additional Credit Card has been issued at the request of the Primary Card Member and whose charges are chargeable to the Card Account.
5. **“Bank”** or **“Federal Bank”** shall mean Federal Bank Limited.
6. **“Billing Cycle”** is the period between the generation of two successive billing statements based on Your Scapia Federal Credit Card transactions.
7. **“Credit Card”**, or **“Card”** or **“Scapia Federal Credit Card”** shall mean a valid Credit Card issued by the Bank that entitles you to use the Card Account for a pre-defined Credit Limit. “Card” denotes all types of cards irrespective of form factor - Physical card, Virtual/Digital card, Tokenized Card.
8. **“Card Member”**, **“Primary Card Member”**, **“Primary Cardholder”**, **“Cardholder”**, **“Member”**, **“Customer”**, **“him”**, **“he”**, **“his”**, or similar pronouns shall mean the individual in whose name the Card has been issued and the Card Account is maintained.

9. **“Card Account” or “Account”** shall mean an account maintained by the Bank under these terms and conditions, in the name of Primary Card Member.
10. **“Credit Limit”** means the maximum credit that can be availed on the Card Account at any point in time. The Credit Limit shall be inclusive of the domestic limit as well as international limit. Domestic limit is the value of the maximum credit limit assigned for Domestic Transaction. International limit is the value of the maximum credit limit assigned for International Transaction.
11. **“Charges”** shall mean transactions made or charged to the Card Account as per this General Card Terms whether or not the Card Member signs a record of charge forms. This would include but not be limited to purchase of goods, services or cash advances or drafts made from the account by use of the Card or the number on the Card, Joining Fee, Annual Fees, Finance Charges, Overlimit Fee, late Payment Fee, transaction charges, service charges, GST and any other fee/charges/ amounts which the Card Member has agreed to pay or is liable to pay to the Bank under this General Card Terms.
12. **“Cash Limit”** means the amount of cash or cash equivalent that the Card Member may be allowed to utilize for a non-purchase transaction.
13. **“Domestic Transaction / Usage”** shall mean a transaction originating in India at merchant outlets, Automated Teller Machines (ATMs) or online transactions in India.
14. **“Electronic Terminal”** means branch teller terminals, ATMs, point of sale terminals or EDC (Electronic Data Capture machine) and other devices in which a Credit Card and/or PIN (personal identification number) can be used, and which is authorized by the Bank as described in the terms and conditions.
15. **“Finance Charges”** shall mean and include the interest charged on Total Outstanding amount on the Card Account as provided in these Terms and Conditions.
16. **“International Transaction / Usage”** shall mean transactions at overseas merchant outlets, overseas ATM or on websites originating outside India.
17. **“Merchant Establishment”** shall mean any company, corporation, establishment, firm, association, individual or any such entity as may be declared by the Bank from time to time, wherever located, which is

designated as a MasterCard/VISA/Rupay merchant and/or with whom there is an arrangement with any MasterCard/VISA/Rupay member bank for a Card Member to obtain goods, services or cash advances by use of the Card or Card number.

18. **“NACH (National Automated Clearing House)”** or **“e-NACH”** would mean the debit clearing service notified by Reserve Bank of India, participation in which has been consented to in writing by the Card Member for facilitating payment of outstanding dues in the Card Account.
19. **“Purchases”** shall mean and include purchase of goods and services by the Card Member by using the Card or Card number.
20. **“Payment Due Date”** shall mean the date on or before which the Card Member has to make the payment to the Bank.
21. **“Primary Credit Card”** shall mean the Card issued to the Primary Card Member.
22. **“Total Outstanding”** shall mean the total outstanding on the Card Account due to the Bank including, but not limited to charges, fees and any other amounts that may be charged by the Bank from time to time in a Billing Cycle.
23. **“Temporary Credit Limit Increase”** means a Credit Limit increase requested by a Card Member for a specific purpose. Such increase in Credit Limit is done for a specific time period as may be communicated to the Card Member and is reverted back at the end of such time period.
24. **“Valid Card”** shall mean a Credit Card which has been issued by the Bank and has not expired, has not been damaged or been cancelled by the Bank or the Card Member.
25. **“we”, “us”, “our”** or similar pronouns shall mean Scapia, their successors, assigns, administrators, liquidators etc. as the case may be.

The Scapia Mobile Application

You can control the **Scapia Federal Credit Card** entirely from the Application, some of the actions being:

1. Setting your App PIN;
2. Activating your **Scapia Federal Credit Card**;
3. Making Credit Card bill payments;
4. Managing your virtual Credit Card;
5. Controlling your Credit Limit and cash withdrawal limit;

6. Enabling online, Domestic Usage and International Usage;
7. Setting your **Scapia Federal Credit Card** PIN (For use at Point of Sale and ATMs);
8. Raising disputes or service queries on any aspect of your **Scapia Federal Credit Card**.

You hereby agree and acknowledge that you are entitled to access the Application for the aforesaid purposes subject to your explicit consent to the Application Terms and Conditions and our Privacy Policy. Notwithstanding anything contained in the aforesaid Application Terms and Conditions, the Privacy Policy, or in these General Card Terms, you agree and acknowledge the following:

1. Scapia merely markets and distributes the Scapia Federal Credit Card;
2. All services other than marketing and distribution as listed above in connection with the Scapia Federal Credit Card are rendered by Scapia through the Bank's SDK/APIs and accordingly the Bank is solely responsible for such actions;
3. Scapia does not have access to any of your transactional data; and
4. No activity undertaken by Scapia including the provision of services in relation to the Scapia Federal Credit Card as provided under these General Card Terms and the MITC constitute an activity which requires a license by Scapia from the Reserve Bank of India. All licenses/registrations as may be required in connection with issuing Scapia Federal Credit Card is obtained by the Bank.

The Agreement

As a Cardholder you hereby agree to the following terms and conditions as stipulated below that may be amended as per the Reserve Bank of India's instructions or any statutory bodies or due to change in Bank's policy from time to time:

1. The Card will be honoured only when a Valid Card is presented to a Merchant Establishment by you.
2. The Card is the property of the Bank and must be produced or surrendered to the Bank on demand without delay.
3. The Card is not transferable, and you should safeguard the same from misuse by retaining it under your personal control at all time. You agree and acknowledge that, to the extent allowed under applicable laws, neither the Bank nor Scapia will be liable for any loss or damage caused to you due to misuse of your Card which is solely attributable to you losing personal control of your Card.
4. You can use the Card for payments in currencies other than Indian Rupees only in compliance with the laws applicable in India including inter alia the Foreign Exchange Management Act, 1999 and any regulations, directions/circulars issued thereunder and by the Reserve

Bank of India(**“FEMA”**). You shall, however, not use the Card for making payments in foreign currency in Nepal or Bhutan.

5. The Card should not be used to conduct any transaction which may be unlawful or illegal in India or any other jurisdictions.
6. You also agree not to conduct any transaction using the Card on web sites that are prohibited under the laws of India.

Card Services

The Scapia Federal Credit Card issued to you is the property of Federal Bank. Federal Bank reserves the right to (1) place internal processes which shall be applicable to all Card transactions; (2) obtain credit bureau report and such other reports to ascertain the credit worthiness of the Customer; and (3) decline to issue a Card to any Applicant at its sole discretion.

The Card is not transferable and its usage is subject to the terms mentioned herein and any additional conditions stipulated by Federal Bank from time to time. In addition to these General Card Terms and MITC, the Card Members shall be subject to the terms and conditions as stipulated by the Bank.

The Bank’s customer care centre (**“Bank Customer Care Centre”**) is available to all Card Members. The Card Members availing of any services /facilities including but not limited to, enhancement of Credit Limit, enquiry on transactions, Total Outstanding amount, statement details, Payment Due Date, etc. through the Bank Customer Care Centre shall at all times continue to be bound by the terms and conditions stipulated by Federal Bank with respect to such services / facilities and the mode of availing such facilities / services, as amended from time to time. You agree and acknowledge that the role of Scapia in customer support is limited only to being your first point of contact, as required by RBI’s directions, Scapia shall merely forward your grievances/support requests to the Bank Customer Care Centre.

Card Validity, Expiry and Renewal

1. Your Card is valid up to the last day of the calendar month of the year indicated on the face of the Card unless cancelled earlier by the Bank. If you use the Card outside the validity period, the Bank shall not be liable in any manner whatsoever for any consequences that may arise.
2. Upon expiry or earlier cancellation, your Card may be renewed or reinstated at the sole discretion of the Bank. On expiry, the Card must be destroyed by cutting it in half through the magnetic stripe. Unless your card is renewed by the Bank, neither Scapia nor Federal Bank shall be liable for any loss or damage caused to you due to the loss/use/misuse of your Card after the validity period mentioned on the face of the Card.

3. Without prejudice to the above, unless you are in breach of these General Card Terms and/or the MITC or otherwise any policies/guidelines issued by the Bank with respect to the Card, the Bank will automatically renew the validity of the Card and send to you a new Card before the expiry of the Card currently being used. In case of non-receipt of renewed Card, you may contact the designated Customer Service Centre of the Bank or write to the Bank at the address notified to you from time to time.
4. You must intimate the Bank at least 60 (sixty) days prior to the expiry of the Card currently being used if you do not wish to renew the Card. In absence of this, the renewal fee (as applicable at the time of renewal) shall be charged to your Card Account and shall be non-refundable.

Charges

You agree to pay the following fees to the Bank in respect of the Card:

- 1.1. **Joining Fees:** at the prevailing rate as decided by the Bank and communicated to you at the time of issuance of the Credit Card.
- 1.2. **Annual Fees:** at the prevailing rate as decided by the Bank and communicated to you at the time of issuance of the Credit Card and thereafter annually in the month in which the Credit Card was originally issued.
- 1.3. **Additional Card Joining Fees & Annual Fees:** at the prevailing rate as decided by the Bank for each Additional Card on the Card Account and communicated to you at the time of issuance of the Additional Card and thereafter annually in the month in which the Add-on Credit Card was originally issued.
- 1.4 **Convenience Fees:**
 - a. Utility, telecom and cable spends over ₹50,000 in a billing cycle will attract a convenience fee of 1% + Convenience fee is capped at ₹3,000 per transaction excluding GST. The limit will be inclusive of the primary and Add-on Cardholder's spends.
 - b. Fuel spends over ₹50,000 in a billing cycle will attract a convenience fee of 1% + GST. Convenience fee is capped at ₹3,000 per transaction excluding GST
 - c. Rent spends will attract a convenience fee of 1% + GST. Convenience fee is capped at ₹3,000 per transaction excluding GST
 - d. The aforesaid Charges are non-refundable and are subject to change at the discretion of the Bank. All changes in the Charges applicable to your Card shall be affected with prior intimation to you via email or SMS. A schedule of fees and charges is always

available on request. It is also available on the Bank's website www.federal.bank.in.

Benefits of your Scapia Federal Credit card:

1. Earn Rewards

When you transact with your Scapia Federal Credit Card, rewards will be credited to your Scapia Federal Credit Card account depending on the transaction value and the purchase category.

- a. Rewards will be credited only on regular purchases across any category.
- b. Rewards will not accrue for money transfers, rent payments, cash withdrawals, EMI transactions, forex transaction, education and school fees, gift cards, credit card repayments, crypto/digital asset transactions, fuel, fuel surcharge, rent and digital wallet loading or top-up transactions, Insurance, Utility, telecom and cable spends. In case of EMI cancellations, rewards will not be reinstated. MCCs for ineligible categories has been mentioned in the table named MCC Classification for the ineligible rewards categories below.
- c. Sometimes, when you purchase a service/product on a digital wallet app which also offers in-app purchases, you may not get rewards, as it involves actual wallet load, which is then used to make payment to the merchant.
- d. Currently, on your Scapia Federal Visa Credit Card, you will earn 10% rewards on every purchase of Rs. 20 and above. For purchase amounts below Rs. 20, rewards will not be credited. For example, if you spend Rs. 48 on a recharge, 5 rewards will be credited. Similarly if you spend Rs. 52, 5 rewards will be credited. Also, currently, on your Scapia Federal Rupay Credit Card, you will earn 5% rewards on eligible spends of more than 500 Rs. For purchase amounts below Rs. 500, rewards will not be credited.
- e. You will earn 20% rewards on travel purchases made on the Scapia App. Rewards earned on card transactions will be converted to Scapia coins on the statement date with the conversion ratio 1 Reward = 1 Scapia Coin. Conversion ratio of Rewards into Scapia Coins will be decided by the Bank on a time to time basis.

Other Terms of Rewards:

- a. Bank reserves the right to wholly or partly modify the Rewards Programme. Bank also reserves the right to change the reward point conversion rate, withdraw reward points awarded or to vary any of the terms and conditions herein in its absolute discretion without prior notice to the cardholder.

- b. In case this Scapia Rewards Programme comes in conflict with any rule, regulation or order or any statutory authority, then the Bank has the absolute authority and right to modify or cancel this rewards programme to give effect to said requirements.
- c. Bank reserves the right to cancel or suspend the accrued reward points if the Scapia Federal Credit Card account is in arrears, suspension or default or if the Scapia Federal Credit Card account is or is reasonably suspected to be operated fraudulently.
- d. If a transaction is reversed by way of a refund/chargeback/reimbursement, the transaction amount shall be credited back to your Scapia Federal Credit Card account. In such instances, the rewards accrued on those transactions will be reduced from the overall rewards balance.
- e. Bank will not be held responsible if any supplier of products / services offered to you withdraws, cancels, alters or amends those products / services.
- f. Bank makes no warranties for the quality of products / services provided by the merchant establishments participating in the Scapia Rewards Programme.
- g. You may note that every purchase is assigned a different “Category” depending upon the Merchant Category Code (“MCC”) defined by the network. According to this, the merchant acquiring bank classifies the merchant depending on the service provided by them. For example, Food & Dining, Shopping, Travel, Entertainment, Groceries, Bills & Utilities, Fuel, and so on. Scapia does not have any control over this MCC classification.

Table: MCC Classification for the ineligible rewards categories	
Category	MCCs
Loading e-wallets	6540
Fuel transactions	5541, 5542, 5983, 5172
Rent Payments	6513
Education and school fees	8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299
Government services	9099 to 9999
Business services	7399, 7311, 7372, 7538, 7392
Crypto and Financial institutions	6051, 6012, 6011
Utility Payments	4900, 4812, 4814, 4816
Insurance Payments	6300

2. Zero Forex Mark-up: Scapia Federal Credit Card holders will not be charged any Forex Mark-up while shopping abroad.

3. Offers:

- a. Scapia Federal Credit Card holders will get access to exclusive discounts/offers from partner merchants from time to time.

- b. Detailed offer terms & eligibility conditions will be displayed on Scapia App.
- c. If any fraudulent activity is identified as being carried out for the purpose of availing the benefits under the Program or otherwise by use of the Card, Bank reserves the right to disqualify the card holder from availing such offer without giving prior notice of the Same.
- d. Bank shall not be held liable for any delay or loss that may be caused in delivery of the goods and services through the participating merchants.
- e. Card Offers will not be available wherever prohibited and / or on merchandise / products / services for which such programs cannot be offered for any reason whatsoever.

Credit Limit

1. The Bank will, at its sole discretion, determine your Credit Limit and notify you of the same from time to time. You may, however, request for a lower limit for the Card Account and for an Additional Card Member. The Credit Limit assigned to an Additional Card Member shall be restored to the assigned limit after every Billing Cycle. Your Credit Limit will also be shown on your monthly statement together with the available credit amount at the statement closing date. The Bank may at its sole discretion and/or on your request review the credit limit from time to time and increase or decrease it as per your eligibility from time to time.
2. Use of the Card at Merchant Establishments will be limited by the Credit Limit assigned to each Card Account by the Bank. In case of Additional Cards issued by the Bank, the extent of use of these Cards so issued will be limited by the Card Account's Credit Limit. The outstanding on the Card Account must not exceed the Credit Limit at any time. In the event of breach of this provision, you will be charged a fee at the prevailing rate as decided by the Bank irrespective of the amount by which you exceed the Credit Limit. You must repay the excess amount immediately. The above-mentioned fee is subject to change at the sole discretion of the Bank.
3. Your Credit Limit and Card Account will be terminated if your Card is cancelled by you or by the Bank for any reason. If you fail to settle the Minimum Amount Due on or before the Payment Due Date, the Bank reserves the absolute right to withhold the facility on the Card till such time the Card Account is regularized.
4. In the event you make payment over and above the amount due as per the monthly statement, you shall not be entitled to interest on the said credit balance amount. In case of excess credit amount, customer will be asked their preference between adjusting against amount due and

crediting to the bank account. In case no preference is communicated by the customer, the excess amount will be refunded automatically.

5. International limit assigned on your Credit Card indicates the maximum usage limit for an overseas purchase transaction (including online) or ATM usage.

Use of Card

1. On receipt of the Card, you must immediately sign on the signature panel if the same is printed on the reverse of the Card.
2. The Card may be used only for bona fide personal or purchase of goods and/ or services. You shall not use the Card to purchase anything to resell for commercial or business purposes to derive any financial gains.
3. International Credit Cards cannot be used for purchase of prohibited items, like lottery tickets, banned or proscribed magazines, participation in sweepstakes, payment for call-back services, and/or such items/activities for which no withdrawal of foreign exchange is permitted.
4. You must sign and/or collect the charge slip, cash advance slip or mail order coupon at the time of incurring the Charge. Failure to sign a charge slip will not discharge you from the liability for the Charges. You must retain your copy of the charge slips for at least six months. Upon your request, the Bank may, at its sole discretion, provide copies of charge slips, subject to payment of an additional charge at the prevailing rate.
5. The Bank may, at any time without prior notice, or stating any reason whatsoever refuse authorization for a Charge at a Merchant Establishment and/or restrict or defer the Card member's ability to use the Card and/or suspend or cancel the Card. The Bank through the ATM, Merchant Establishment, by itself may repossess/retain the Credit Card if it reasonably believes that it is necessary to do so for proper management of credit or business risk or if the Card or Card Account is being misused or likely to be misused. You agree to the above.
6. Any charge slip or other payment requisition received by the Bank for any transaction on the Card Account for the payment, shall be conclusive proof that the amount recorded on such charge slip or other requisition was incurred by the use of the Card by you. Where charge slip or voucher is not available viz. mail order or telephone order or electronic commerce and you dispute that transaction, you will first clear the outstanding on Card and shall resolve the dispute directly with the concerned Merchant Establishment. The Bank shall not be liable, in any manner whatsoever for the same.
7. Surcharge may be levied on purchase of certain products and services as notified by the Bank from time to time. Payment of surcharge is mandatory and the same may vary from time to time.

8. The monthly statement of account shall be prima-facie proof of the Charges incurred by you. In the event you disagree with a Charge indicated in the statement, the same should be communicated to the Bank in writing within 60 (sixty) days of the statement date, failing which the Charge in the statement of account shall become conclusive proof of your liability to pay to the Bank.
9. The Bank will not be responsible if the Merchant Establishment refuses to accept the Card or levies a surcharge on the Card. However, the Card member should notify the Bank of this complaint at the address notified by the Bank from time to time or at the designated Customer Service Centre.
10. The Bank shall not be in any way responsible and/or liable for merchandise, price, rate, quality, warranty, privileges, benefits, facilities including deficiency/delay in services, delivery or non-delivery etc. purchased or availed by you from Merchant Establishment and/or third party supplier including any mail order or telephone order or electronic commerce (e.g., internet) placed by you. Any dispute arising thereto should be settled directly by you with the Merchant Establishment/third party suppliers and failure to do so will not relieve you of any obligation to the Bank.
11. No claim by you against a Merchant Establishment will be a subject of set off or counterclaim against the Bank.
12. The Card may be suspended/withdrawn by the Bank at its sole discretion without being liable in any manner whatsoever to you. Termination of the Card and this Card member Agreement shall result automatically in the termination of the privileges, benefits and facilities attached thereto.
13. You must pay for the purchase of goods/services e.g. air/rail tickets etc. as it appears on the statement to avoid incurring finance or fee charges even if the purchase has been cancelled subsequently. Credit of refund on account of cancellation will be made to the Card Account (less cancellation charges) only when received by the Bank. No cash refund will be given to you. If the credit is not shown in the statement of account within a reasonable time, you must notify the Bank, immediately.
14. You accept full responsibility for use of the Card in contravention of laws, rules, regulations and terms and conditions of this Card member Agreement and undertake to indemnify the Bank and to make good any loss, damage, interest, conversion, any other financial charges and outgoing, costs and consequences that the Bank may incur or suffer on your account and your acts, omission/commission and negligence.
15. You are also liable to pay any statutory dues levied on the services provided by the Bank to you.
16. You agree and hereby authorize the Bank to convert Charges incurred by you in foreign currency to Indian Rupee equivalent at such rate as the Bank may designate from time to time.

17. You agree that goods purchased through the use of the Card shall remain the property of the Bank till such time the charges pertaining thereto are fully paid by you to the Bank.
18. Bank reserves the right to accept or decline any transaction depending upon the rules based on internal risk monitoring and fraud prevention mechanism.
19. Mail Order/Telephone Order (MOTO) transactions are permitted on Scapia Federal Credit Cards; however, cardholders must exercise due caution while providing card details for such transactions. The card network (Visa/RuPay) shall share relevant transaction information with Federal Bank. Cardholders are advised to transact only with verified and trusted merchants, as the Bank shall not be liable for any unauthorized or fraudulent MOTO transactions arising from inadvertent disclosure of card details.

Cash Advances

1. You can use the Credit Card, for withdrawal of cash from ATMs of the Bank, select partner Banks and from other locations/permitted establishments as may be allowed by the Bank from time to time and also for any other cash equivalent transaction such as demand draft facility permitted by the Bank from time to time. For such cash advances and cash equivalent transactions, you shall comply with applicable laws, rules, and regulations including but not limited to Foreign Exchange Law and rules thereunder as notified by RBI and other Government bodies. You shall not disclose ATM code/ PIN provided to you by the Bank for cash advances to any person and shall take all possible care to prevent its discovery by any person.
2. You can obtain cash advances up to your Cash Limit as may be communicated by the Bank from time to time, subject to the available Cash Limit and such other terms and conditions as may be applicable to cash advance transactions.
3. The charges for the cash advances viz., transaction charges, handling charges etc. and terms and conditions thereto shall be as per the charges mentioned in the MITC. Such charges are subject to change at the sole discretion of the Bank and shall be levied from the date of withdrawal until the date of settlement.

Billing & Settlement

1. The Bank will send a link to download the statement on the email id provided by you, once a month for each billing period during which there is any activity or outstanding of more than Rs.200 (Rupees two hundred) on the Card Account. The Payment Due Date will be up to a maximum of 18 (eighteen) days from the billing date.

2. The Bank will debit the Card Account for all the charges incurred and credit the Card Account for all payments made by you to the Bank and for any credits received from the Merchant Establishments in your favour.
3. The Bank shall render monthly statements based on transactions done by the Card Member and/or the payment made and/or credits received. The monthly statement for each billing period will identify, inter alia of purchase of goods and/or services, cash advances, fees, GST and other charges, payments and credits to the Card Account. The monthly statements will show the Total Outstanding amount as well as the Minimum Amount Due required to be paid by you. You shall make payment for at least the Minimum Amount Due so as to reach the Bank on or before the Payment Due Date indicated in the statement. Your account will be credited only when the Bank receives the payment of cleared funds from you or your bank. Any overdue amounts and any amount over Credit Limit shall be payable immediately. Please note that making only the minimum payment every month would result in the repayment stretching over years with consequent interest payment on your outstanding balance.
4. You may exercise the option to pay the Minimum Amount Due as indicated in the monthly statement of account and carry forward the payment of the balance amount to the next Billing Cycle. Minimum Amount Due shall be determined by the Bank at its sole discretion.
5. Non-payment of the Minimum Amount Due by the Payment Due Date shall render you liable to the risk of withdrawal or suspension (whether temporary or permanent) of the facility on the Credit Card. The Bank shall also have the option of levying, at its sole discretion, a fee for such non-payment as well. The Bank may at its sole discretion also instruct Merchant Establishments not to honour the Credit Card and/or to take custody of the Card by listing the Card number in the warning bulletin issued by the Bank from time to time or otherwise.
6. You may also authorize the Bank through E-NACH to directly debit the account maintained with the Bank or any other bank and credit your Card Account. Should you desire E-NACH, the Bank shall advise you separately on the terms and conditions applicable thereto.
7. Outstation cheque/draft i.e. cheque/draft payable at cities other than certain specified cities of such specified cities as are decided by the Bank from time to time is available on request) will attract processing fee. The fee in respect of processing outstation cheques is mentioned in the Schedule of Charges. The list of such locations and the processing fee may be changed by the Bank at its sole discretion without notice.
8. Should any payment instrument of yours be subsequently dishonoured, the Card privileges may be suspended/ terminated and a fee, as mentioned in the Schedule of Charges shall be levied to the Card Account, at the sole discretion of the Bank. Such fee amount is subject

to change at the sole discretion of the Bank. The Bank also reserves the right to initiate any appropriate legal action.

9. Any and all payments received towards the Card Account may be applied or appropriated by us as per our internal accounting and credit guidelines, notwithstanding any instructions or specific appropriation by you or other person making the payments.
10. Duplicate monthly statements of accounts will be provided by the Bank to you only up to a period of twelve months preceding your request subject to payment of service charge specified in the Schedule of Charges and which can be changed at the discretion of the Bank.
11. In case where You are making payment from your NRO Account, You warrant that such payment is made out of Your balances held in the such NRO account arising from your legitimate receivables in India and not by the way of borrowings from any other person or a transfer from any other NRO account. On breach of such warranty, You shall be liable for penal action under FEMA. You also confirm and warrant that the amount repatriated out of Your balance in NRO Account to outside India, amount transferred from NRO account to NRE account, payment towards credit card bill and amount to be transferred vide any other request is less than USD.1,000,000- (U S Dollar one million) or its equivalent in any Bank during a particular financial year.
12. For funds utilised for Credit Card bill settlement by way of debit to NRO account, You confirm that applicable taxes have been paid on earnings charged to tax in India as per CBDT rules and Card holder and NRO account holder is one and same.
13. Currently repayment through E-NACH, Cheque/Draft is not accepted. Customer can make the repayment through available options as updated by the bank on Scapia app from time to time.

Finance Charges

1. Finance Charges are payable at the monthly percentage rate on all charges including cash advances, from the date you incur the transactions until they are fully paid.
2. Finance Charges occur on the cash advances and balance transfer from other credit card account immediately from the date of withdrawal of cash or cash equivalent and from the date of issue of the bankers cheque for such balance transfer whereas for Purchases, the Finance Charges accrue only if the Total Outstanding or any part thereof payable by the Payment Due Date is not paid in total and the same is carried forward from the previous Billing Cycle to next Billing Cycle.
3. Finance Charges, if payable is debited to your Card Account on the last date of each statement period and is shown on your statement.
4. You agree to pay Finance Charges on your Total Outstanding carried forward at the rate defined by the Bank and as amended by the Bank from time to time.

5. The rate of Finance Charges may vary for certain facilities such as balance transfer facility etc. and the Bank shall specify the same from time to time.
6. The Finance Charges as above, will continue to be payable after termination of these General Card Terms or closure of the Card Account till outstanding on the Card Account is cleared in full.
7. The Bank may at its sole discretion at any time, under intimation to you, vary the Finance Charges for all or some of its facilities.

Charges Made in Foreign Countries

The Card Member hereby undertakes and declares that the Credit Card issued to him, if used overseas shall be utilized strictly in accordance with the relevant exchange control regulations, issued and as amended by RBI from time to time. In the event the Card Member exceeds his entitlements as per the exchange control guidelines of RBI, the Card Member shall bring the same immediately to the notice of the Bank in writing. The Card Member agrees that if his/her passport is required to be endorsed for any charges incurred in foreign countries, as stipulated by RBI, the onus of getting the passport endorsed shall lie entirely on the Card Member. In the event of any failure to comply with the prevailing exchange control guidelines issued by RBI by the Card Member, he shall be liable for any action under FEMA as amended from time to time, and to be debarred from the Card facility either at the Bank's instance or at the RBI's instance. Neither the Bank nor Scapia shall be liable for any loss or damage arising directly or indirectly out of decline of a charge because of exceeding foreign exchange entitlements as prescribed by RBI guidelines issued from time to time. If a transaction is made in a currency other than Indian Rupees, that transaction will be converted into Indian Rupees. The conversion will take place on the date the transaction is settled with the Bank, which may not be the same date on which the transaction was made. If the transaction is not in US Dollars, the conversion will be made through US Dollars, by converting the charged amount into US Dollars and then by converting the US Dollar amount into Indian Rupees.

Late Payment Fee

In the event, you fail to pay the Minimum Amount Due as shown in the monthly statement by the Payment Due Date, a late payment fee as mentioned in the Schedule of Charges shall be levied to the Card Account. This fee may vary at the discretion of the Bank and shall be intimated to you from time to time.

Other Fees/Charges

You agree to pay all costs including but not limited to charges for renewal, replacement, duplicate statement etc.), transaction fee on cash advance,

collection charges for outstation fee, legal cost, any other fees/charges etc. incurred and/or charged by the Bank.

GST

You agree to pay GST at rate as per the Government of India guidelines that may be levied on the prescribed fees, Finance Charges, other fees/charges etc., as may be applicable from time to time.

Personal Identification Number

To enable the Card Member to use the Card, a Personal Identification Number (PIN) needs to be set on the Application. This PIN may subsequently be changed by the Card Member, at his own risk, on channels allowed by the bank from time to time. The PIN provides access to the Card Account and the Card Member accepts the sole responsibility for use, confidentiality and protection of the PIN, as well as for all orders and information changes entered into the Card Account using such PIN. The Card Member shall not record the PIN in any form so as to facilitate the PIN coming to the knowledge of a third party. The Bank is authorised by the Card Member for carrying out transactions and instructions authenticated by the PIN and shall not revoke the same. The Bank has no obligation to verify the authenticity of the transaction instruction sent or purported to have been sent from the Card Member other than by means of verification of the Card Member's PIN. The Card Member shall at all times take all appropriate steps, including those as mentioned herein, to maintain the security of the PIN. If the Card Member fails to observe the security requirements, he shall be solely responsible to incur all losses, liability and damages arising therefrom. The Bank may, in its absolute discretion, issue a new PIN on the existing Card subject to the provisions stated herein and as specified by the Bank from time to time. The Card Member will not hold the Bank or Scapia liable in case of any improper/ fraudulent/unauthorized/ duplicate/ erroneous use of the Card and/or the PIN. The Bank and Scapia will also not be liable for any consequences connected with the use/ misuse of the Card by any third party due to the Card falling in the hands of any third party or the PIN coming to the knowledge of any third party. If any third parties gain access to the services, including the Card Account, the Card Member will be responsible and shall indemnify the Bank and Scapia against any liability, costs or damages arising out of such misuse / use by third parties based upon or relating to such access and use, or otherwise..

Alerts

You agree that the Bank shall keep you informed about the status of your Card Account and provide any other information from time to time by sending you messages via SMS and/or Email or any other communication channel and you would have no objection to the same.

Customer Care Services

1. The Bank shall provide information and facility to you to facilitate access to information and carry out transactions on your Card Account by giving instructions on telephone. This may be accepted by the Bank either manually or through automated systems. However the Bank may at its sole discretion decide on the nature of the information/transaction that can be given/carried over the telephone. The Bank also reserves the right to authenticate your identity before processing your request. You may also be given a specific Telephone Personal Identification Number (TPIN) for use of this facility.
2. You agree that you shall not hold the Bank liable on account of the Bank acting in good faith on such instructions.
3. The Bank may at its sole discretion record such instructions and may rely on transcripts of such telephonic instructions as evidence in any proceedings.
4. In following such instructions, the Bank shall be doing so on a best efforts basis and will not be liable on account of delay or inability on the part of the Bank to act immediately or at all on any of your instructions.
5. The Bank reserves the right not to carry out such instructions where the Bank has reasons to believe that the instructions are not genuine or to withdraw or suspend the facility.
6. In case there is a discrepancy in the particulars or details of any transactions carried out by the Bank, you shall be obliged to inform the Bank of the discrepancy within ten days of receiving the advice from the Bank.
7. In consideration of the Bank providing you the said facility you shall indemnify and hereby keep the Bank indemnified from and against all actions, claims, demands, proceedings, losses, damages, costs, charges and expenses that Bank may incur, sustain or suffer as a consequence of or by reason of your using this facility.

Returned Payments

In case the cheque, or any other payment instrument or instruction given by the Card Member, towards payment of his Card dues, is not honoured, or must be returned to the Card Member because it cannot be processed, The Bank reserves the right to initiate legal proceedings against the Card Member and will levy fee at its sole discretion and/or temporarily/permanently cancel the Card. The Card Member will also be liable to pay the cheque return charges

and late payment charges or any other charges as may be decided by the Bank.

Lost or Stolen Cards

1. You must notify the Bank immediately in the event the Card is lost, stolen, not received or is being used without your permission. In the case of such loss/theft etc. you must notify the Bank in writing of such loss/theft etc., immediately after filing the police complaint/ First Information Report (FIR) a copy of which must accompany the notice to the Bank.
2. Pending written notice, you may also inform the Bank telephonically of such loss/theft etc. The Bank will upon adequate verification temporarily suspend the Card Account but will not be liable for any inconvenience caused to you and this account.
3. Your liability arising out of any unauthorized use of the Credit Card prior to notice/ communication to the Bank, shall be for all charges incurred till the notice/ communication to the Bank and shall be Nil only after receipt of notice by the Bank.
4. You are responsible for the security of the Card and shall take all steps towards ensuring the safekeeping thereof and the Bank shall not in any manner be liable for any misuse of the Card. In the event the Bank determines that the steps are questionable, financial liability on the lost or stolen Card would rest with you and could even result in the cancellation of the Card Account.
5. You will fully cooperate with the Bank, the representative of the Bank, and/or legal authorities in the event of an investigation into any disputed transaction.
6. In the event you subsequently recover the Card the recovered Card must not be used and must be cut into half through the magnetic stripe and returned immediately to the Bank.
7. You shall not be liable for any transaction/s made on the Card post reporting its loss/theft/damage. However, in case of any dispute relating to the time of reporting such loss/ theft/damage and/or transactions made on the Card post reporting of the loss/theft/damage/ misuse, the Bank reserves the right to ascertain such time and or the authenticity of the disputed transactions. You shall not be able to use the blocked Card for any transaction/s until you receive a replacement Card.

Collections

The Bank shall be entitled, at the sole risk and cost of the Card Member, to engage one or, more person(s) to collect the Card Member's dues and/or to

enforce any security provided by the Card Member, and the Bank may (for such purposes) furnish to such person(s) such information, facts and figures pertaining to the Card Member and the security as the Bank deems fit. The Bank may also delegate to such person(s) the right and authority to perform and execute all acts, deeds, matters and things connected therewith, or incidental thereto, as the Bank deems fit.

Quality of Goods and Services

The Bank shall not, in any way, be responsible for merchandise, merchandise warranty or services purchased, or availed of by the Card Member from Merchant Establishments, including on account of delay in delivery, non-delivery, non-receipt of goods or receipt of defective goods by the Card Member. It must be distinctly understood that the Credit Card is purely a facility to the Card Member to purchase goods and/or avail of services, the Bank holds out no warranty or makes no representation about quality, delivery or otherwise of the merchandise. Any dispute or claim regarding the merchandise must be resolved by the Card Member with the Merchant Establishment. The existence of the claim or dispute shall not relieve the Card member of his obligation to pay all the Charges to the Bank and the Card Member agrees to pay such charges promptly.

Appointment of Third Party/Service Providers

1. The Bank at its sole discretion may appoint third parties/service providers for providing service over the phone or through any other means. The Bank may also appoint third party/service providers for conducting certain activities such as but not limited to reference checking, verification through credit bureau, credit verification, recovery of any outstanding on the Card or initiate any action allowed by law for recovery of all dues owing to the Bank. All payments made to such third parties/ service provider for collection will be at your cost and risk in addition to all costs, charges and expenses incurred by the Bank to recover the outstanding dues/amounts
2. You shall be liable for all costs associated with the collection of dues and legal expenses with interest, should it become necessary to refer the matter to any agent or where legal resource for enforcement of payment has been taken.
3. You hereby expressly agree / consent for the sharing of Your data / documents provided to the Bank, with such Third Party / Service Providers. The data / documents will be used for respective limited purpose and the same will be purged once the Card Account is closed.

Entity Name	Role	Description
Lentra AI Pvt. Ltd.	Eligibility Rule Engine	Your PII details will be shared with Lentra to access your eligibility for the Credit Card.

Karza Technologies Pvt. Ltd.	V-KYC Vendor	Your PII data will be shared to comply with the KYC norms.
The Unique Identification Authority of India	E-KYC	
Scapia Technology Private Limited	Reward Point Management	Your PII data will be shared with Scapia to manage your Reward Points.
M2P Solutions Pvt. Ltd.	ACS (Access Control Server) and CMS (Card Management Services)	Your PII and Transaction data will be shared with M2P to provide access to services.
CleverTap Private Limited	Communication Vendor	Your PII and Transaction data will be shared with Mettle to send you communication.
Sinch cloud communication services India Pvt. Ltd.		Your PII data will be shared with Sinch for communications.
MCT Cards & Technology Pvt. Ltd.	Printing Partner	Your PII data will be shared with MCT for sending you the physical Welcome Kit.
Delhivery Pvt. Ltd.	Logistics	Your PII data will be shared with Delhivery (Courier partner) who will deliver the Physical Welcome Kit to your address.
Blue Dart Express Limited		
Department of India Post		
Razorpay Software Pvt. Ltd.	Payment Gateway	Your PII and Transaction data will be shared with Worldline to enable you to pay the outstanding on your Card.
Pine Labs Pvt. Ltd.	EMI merchants of the Bank	Not applicable
PayU Payments Pvt. Ltd.		
Concentrix Technologies (India) Pvt. Ltd.	Customer support activities	Your PII data will be shared with Concentrix to provide customer support/queries.
Globiva Services Private Limited		
Experian Credit Information Company Of India Pvt. Ltd.	Credit Bureau	Your PII data will be shared to evaluate eligibility for the Credit Card.
Credit Information Bureau (India) Limited		Your PII data will be shared with the Agencies to aid the Bank in collections activities.
Collection and Recovery Agency	Collection and Recovery	List of Agencies associated with the Bank: https://www.federalbank.co.in/documents/10180/59628/List+of+collection+agents+%26+recovery+agents-Jan+2023.pdf/85b86b66-8a75-421e-91a9-b1954cf0e57f?t=1675755327502

4.

Credit Card Reissue and Replacement

If your Card becomes defective/gets damaged, mutilated, lost or stolen, you may ask for a replacement Card through the Application or with the help of the customer support. All such replacement Cards shall be issued at the discretion of the Bank upon payment of such charges prevailing at the time of

replacement. The damaged Card must not be used and should be cut in half through the magnetic stripe and returned immediately to the Bank.

Change of Address and Telephone Number

You shall promptly notify the Bank in case of any changes in address or mobile number. The options to update address and mobile number will be provided to you on the Scapia app or any different channels as decided by the bank.

Bank reserves the right to review and honour the request based on the requirements determined by the Bank from time to time.

Breach & Termination/Withdrawal

1. By the Card Member: You can terminate these General Card Terms at any time by returning to us all the Cards, issued for use on the Account, cut in half with a written request to terminate all facilities and benefits hereto associated with the card. Termination will only be effective when we receive all the Cards including Additional Cards and payment of all amounts outstanding in respect of the Card Account. You can cancel the use of an additional Card by notifying the Bank in writing but you will remain liable for all Charges incurred by use of the Additional Card. No Annual fees or other charges shall be refunded on a pro-rata basis. You may also request for cancellation of credit card through the Application or the Bank's contact centre.
2. By the Bank: The Bank can terminate these General Card Terms immediately at any time at its discretion, restrict the use that the Card Member may make of the Credit Card without assigning reason or cause and without any notice thereto. Where the Bank terminates these General Card Terms, all amounts outstanding on the Card Account (including Charges or Cash advances not yet debited) will become due and payable immediately. The Bank may inform Merchant Establishment of cancelled Credit Cards. If the Credit Card is cancelled, you must cut it in two halves through the magnetic stripe and return both halves to the Bank immediately. No annual fees or other charges shall be refunded on a pro-rata basis.
3. In the event you change the employment/profession or address or are transferred from your present posting or change your salary account/main bank account etc., the Bank at its sole discretion shall have the right to discontinue the Credit Card facility.
4. Breach: In the event of breach of any of these General Card Terms by any Card Member; (i) notwithstanding any other provision of these General Card Terms the Card Member will remain liable for any loss directly or indirectly resulting from such a breach; and (ii) The Card

Member will be liable to pay the Bank, upon demand, all amounts outstanding from the Card Member to the Bank, whether due and payable to the Bank at the date of such demand or not.

5. Termination / Withdrawal: The Card Member can raise a request for the closure of the Card Account through Scapia's Application or through a written email communication to the customer support.
6. The aforesaid notice will not take effect till the Card has been defaced by cutting off the top right hand corner ensuring that both the hologram and magnetic stripe have been cut and has been received by the Bank. Save as aforesaid, neither the Card Account nor may any Card be terminated.
7. In the event the Charges are incurred on the Card after the Card Member claims to have destroyed the Card, but the Card has not been received by the Bank, the Card Member shall be entirely liable for charges incurred on the Card, whether or not the same are the result of the misuse and whether or not the Bank has been intimated of the destruction of the Card.
8. The Bank may at any time, with or without notice, as to the circumstances in The Bank's absolute discretion require, terminate the Card Account and the Card. The Card Member expressly acknowledges and accepts that if the Card Member holds two or more Card Account with the Bank, being governed under these General Card Terms and defaults in making payments due to the Bank under one of the Card Account, the Bank is authorized to block the credit limit as made available to the Card Member under all other the Bank's Credit Card Account/s as well as withdraw such privileges / benefits as made available under all such Card Account/s , till such time the defaulting Card Account is regularized by the Card Member. The Card Member also agrees and acknowledges that the Bank shall not be required to provide any additional notice for the above.
9. On termination of the Card Account and notwithstanding any prior agreement between the Bank and the Card Member to the contrary: (A) the total of all the Charges then outstanding, whether or not already reflected in the Statement and, (B) the amount of any Voluntary Charges incurred after termination (with effect from the date of relevant Transaction Instruction), shall become forthwith due and payable by the Card Member as though they had been so reflected, and interest will accrue thereon from the date such charges have been incurred, as applicable from time to time.

10. The Bank, at its sole discretion, reserves the right to, either temporarily or permanently, withdraw the privileges on the Card and/or cancel the Card at any time without giving any notice or assigning any reason therefore. In case of a temporary withdrawal, the privileges may be reinstated by the Bank at its sole discretion. In case of a permanent withdrawal, the Bank has a right to refuse membership to the Card Member permanently. However, it is made distinctly clear that withdrawal (temporary or permanent) shall constitute automatic withdrawal of all attendant benefits, privileges and services attached to the Card. In the event of such temporary or permanent withdrawal, the Card Member shall continue to be fully liable for all charges incurred on the Card prior to such withdrawal, together with all other applicable charges thereon, unless otherwise specified by the Bank. Card may be withdrawn and the Card Account may be closed at any time without reference to the validity period embossed on the Card. The Card Member agrees to surrender the Card to the Bank, or its representative, upon being requested to do so. Use of the Card after the notice of withdrawal of its privileges is fraudulent and subjects the Card Member to legal proceedings.
11. Occurrence of one or more of the following events shall constitute an event of default and the Bank at its sole discretion may withdraw the Credit Card facility. The events of default are as under:
 - 11.1. You consistently fail to pay any amount due to the Bank within the stipulated period.
 - 11.2. You fail to perform your obligations as per these terms and conditions.
 - 11.3. Any cheque and/or ECS/standing instructions delivered to the Bank is not encashed/ acted upon for any reason whatsoever on presentation/being made.
 - 11.4. Any representation made by you proves to be incorrect, false or incomplete including but not limited to income and/or identification paper/document forwarded to the Bank, being proved incorrect, incomplete and/or contains false/fraudulent information.
12. You specifically acknowledge that once the Card Account is cancelled/closed and privileges (including all rewards, benefits and services) of the Credit Cards stand withdrawn, reinstatement of the same is not automatic and will take place solely at the discretion of the Bank.
13. On cancellation of the Card, you:
 - 13.1. Must not use the Card, you shall cut the Card into two halves through the magnetic stripe and return the same to the Bank.
 - 13.2. Are responsible for any use of the Card including payment of charges until the Card is returned to the Bank cut into two halves through the magnetic stripe

13.3. Must continue to make payments to the Bank in accordance with these General Card Terms .

Interest/finance charges, if any applicable, for a billing cycle will be levied/payable on the next billing cycle and the Card Member shall be liable to pay the same notwithstanding the termination/revocation of the Card Membership.

Harmonisation of Turnaround Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems

RBI had introduced guidelines on Turnaround Time (TAT) for resolution of customer complaints and compensation framework across all authorised payment systems in the month of September 2020. The Bank has adopted the above guidelines. In the event of failed transactions, wherever financial compensation is involved, the same shall be effected to the customer's account Suo moto.

Customer Compensation details for failed transactions using Authorised Payment Systems is given below

Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems			
Sl. no.	Description of the incident	Framework for auto-reversal and compensation	
		Timeline for auto-reversal	Compensation payable
I	II	III	IV
1	Automated Teller Machines (ATMs) including Micro-ATMs		
a	Customer's account debited but cash not dispensed.	Pro-active reversal (R) of failed transaction within a maximum of T + 5 working days.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 5 working days, to the credit of the account holder.
2	Card Transaction		
a	Card to card transfer Card account debited but the beneficiary card account not credited.	Transaction to be reversed (R) latest within T + 1 day, if credit is not effected to the beneficiary account.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 1 day.
b	Point of Sale (PoS) (Card Present) including Cash at PoS Account debited but confirmation not received	Auto-reversal within T + 5 days.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 5 days

	at merchant location i.e., charge-slip not generated.		
c	Card Not Present (CNP) (e-commerce) Account debited but confirmation not received at merchant's system.		
3	Card Closure Request		
	Request for credit card closure, subject to payment of all dues by the cardholder	Request to be processed within T+7 working days	₹ 500/- per day of delay beyond T + 7 working day.

Exclusion of Liability

Without prejudice to the foregoing, the Bank and Scapia shall be under no liability whatsoever to you in respect of any loss or damage arising directly or indirectly out of:

1. Any defect in any goods or services supplied;
2. The refusal of any person to honour or accept a card;
3. The malfunction of any electronic terminal;
4. The giving of transaction instruction other than by you;
5. Any statement made by any person requesting the return of the Card or any act performed by any person in conjunction;
6. Handing over of the Card by you to anybody;
7. The exercise by the Bank of its right to demand and procure the surrender of the Card prior to the card expiry date, whether such demand and surrender made and/or procured by the Bank or by any person or computer terminal;
8. The exercise by the Bank of its right to terminate any Card or the Card Account; or
9. Any injury to your credit, character and reputation alleged to have been caused by the repossession of the Card and/or any request for its return or the refusal of any service establishment/mail order establishment to honour or accept the Card;
10. Any misstatement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed by the Bank. In the event a demand or a claim for settlement of outstanding dues from you is made either by the Bank or any person acting on behalf of the Bank, you agree and acknowledge that such demand or claim shall not amount to be an act of defamation or an act prejudicial to or reflecting upon your character, in any manner.

Default

1. You accept that upon any default in discharging the obligations under these General Card Terms, the Bank and Scapia shall have the right to exercise any or all rights under the said terms .
2. You acknowledge the right of the Bank and/or Scapia to terminate the Card facility in the event of default in respect of any other credit facility extended to you by the Bank and vice versa.
3. You accept upon the non-payment of bills due for more than 30 days, under these General Card Terms the Bank shall have the right to block the transactions.
4. The classification into Substandard/ Doubtful/Loss NPA will be handled based on combined security apportionment across overall exposure with Bank and ageing rules as specified by Bank from time to time.
5. Any Dues remaining unpaid for a period beyond 90 (ninety) days shall be classified as Non-Performing Asset (NPA) as per the RBI Master Circular on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to advances.

Notices

All notices or other communications under or in connection with these General Card Terms including all amounts due from the Card Member shall be given in writing to The Federal Bank Limited Parackal Towers, Parur Junction, Thottakkatukara, Aluva, Ernakulam, Ernakulam, Kerala, 683 102, India and, unless otherwise stated may be made by letter. Any such notice or other communication will be deemed to be effective: (i) if sent by letter, when delivered personally or if dispatched by post, when recall of the letter is outside the control of the sender; and (ii) if sent by facsimile, when sent (on receipt of a confirmation to the correct facsimile number). Provided, however, that no notice or communication to the Bank shall be effective unless actually received and acknowledged by the Bank. Notices or communication may be made to: (i) the Card Member's address or facsimile number as recorded in

The Bank's records and to which notices / communications are to be sent (as specified in the Application Form), and (ii) The Bank's zonal / regional / branch /office address or facsimile number (as specified in the Application Form), or to such other address or facsimile number as may be designated by the Card Member and the Bank in writing to each other. In the event of any failure by the Card Member to notify the Bank in writing of any changes in its contact address or details, service of a notice/ correspondence to the address specified in the application form or last given by the Card Member shall be deemed to be proper and sufficient service on the Card Member irrespective of whether or not such notice shall be returned "unserved" to the Bank. A notice published in the newspaper available in the area of residence or work of the Card Member shall be sufficient notice to the Card Member from the date of its publications;

provided however, a notice in a newspaper shall not be effective against the Bank unless acknowledged by the Bank.

Services Provided by Mastercard Worldwide/ Visa International /Rupay

1. There are certain emergency services provided to you by VISA International/ MasterCard Worldwide/Rupay. Such services are provided by VISA/MasterCard/Rupay through third party agents. You are responsible for the cost incurred in availing such emergency services provided by/through VISA International/MasterCard Worldwide/Rupay.
2. Assistance is provided on a best effort basis by / through VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay.
3. The Bank in India or anywhere in the world does not accept the responsibility for the arrangement or use of services provided by / through VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay.

Disclosure

Federal Bank may tie up with credit bureaus authorized by RBI and will share credit information including but not limited to your current balance, payment history, demographic details, etc, such information is being provided in terms of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. The credit bureaus do not provide any opinion, indication or comment pertaining to whether credit should or should not be granted. It is in your best interest to maintain a good credit history by paying the necessary dues in a timely manner. With credit bureaus in place, responsible customers can expect faster and more competitive services at better terms from credit grantors. Default by customers would be available with credit bureaus, which in turn would impact your credit worthiness for Future credit requirements. Federal Bank will report customer information to credit bureaus on a monthly basis or such other time period as may be agreed between the Bank and the credit bureaus. In case of any billing dispute notified to Federal Bank, Bank will suspend reporting to credit bureaus till the dispute is resolved. The Card Member acknowledges that Federal Bank is authorized to share information relating to Card Member/Add-on Card Member(s), including information relating to any default committed by the cardholder in discharge of his/her obligation, as Federal Bank may deem appropriate and necessary, with any existing or further credit bureaus as determined by the Bank from time to time. Accordingly, the cardholder gives consent and confirms having obtained consent from Add-on Card Member(s) to disclose information to such credit bureaus. Such entities may further make available processed information or data or products thereof of banks/financial institutions and other credit grantors. Credit Bureaus includes Credit Bureaus, Credit Reference Agencies, Credit Information Companies or any other entity formed and authorized by

RBI for the purpose of collecting, collating and disseminating credit information pertaining to borrowers.

1. You hereby expressly authorize the Bank for the purposes of credit verification or reference checks, card on-boarding, issuance, protection of its interests etc., to disclose all/any information/documents relating to you/these General Card Terms and/or any other agreement with other banks, credit bureaus and financial institutions, other third parties, etc.
2. You hereby authorize the Bank or its representatives to contact your employer, banker or any other source to obtain and/or verify any further information that may be required.
3. You further authorize the Bank to disclose such information to the Reserve Bank of India (RBI), Income Tax Authorities, Credit Rating Agencies or any other Government or regulatory authorities/bodies/departments as and when so demanded. You further authorize the Bank to verify, share and/or disclose your name to the aforesaid authorities including banks, financial institutions, credit bureau/agencies, data banks, third parties like collections agencies in the event you default in payment or compliance of the terms and conditions of these General Card Terms.
4. You hereby authorise and accord consent to the Bank to carry out enquiries for obtaining your latest Personally Identifiable Information ("PII") including but not limited to PAN card number from reliable/authorized information bureaus such as CERSAI/CIBIL or any such companies, on an on-going basis, and update such PII data in Bank's records without any further consent in order to keep your PII data up to date which will in-turn help the Bank to provide suitable services and facilities.
5. You also authorize the Bank to disclose information provided in the account opening form, any other information furnished by the Customer from time to time, transaction details, records maintained with the Bank and other customer insights generated or available with the Bank for the purpose of cross selling and any other marketing agent/s and/or contractors with whom the Bank enters, or has entered into any arrangement, in connection with providing of services/products, including without limitation, cross selling of various financial products.
6. You also authorize the Bank to share any customer information with the credit rating agencies or third-party service providers and also to fetch your credit score/rating for evaluating your eligibility based on which the Bank can provide any pre-approved credit facility, or for such other purpose as deemed fit by the Bank from time to time.
7. You hereby authorise and accord consent to the Bank get your credit score/report and such other information from the credit information companies on an ongoing basis, in order to assess your eligibility for various financial products/services offered by the Bank, from time to time.

8. You further acknowledge that the Bank shall also be entitled to disclose all such information/documents etc. to any Court, Tribunal, Arbitrator if so directed/ required.
9. Upon receipt of adverse reports (relating to your credit worthiness or your family members), the Bank may cancel the Card whereupon the entire outstanding balance in the Card Account as well as any further charges incurred by use of the Card, though not yet billed to the Card Account shall immediately become due and payable by you. The Bank is not obliged to disclose the name of the bank, institution or body wherefrom it received such information about you.
10. You specifically waive the privilege of privacy, confidentiality and secrecy with regard to the aforesaid information.

Assignment/ Securitization

You expressly recognize and accept that the Bank shall be absolutely entitled to sell, assign or transfer in any manner (including through the drawing of a negotiable instrument or otherwise) in whole or in part and on such terms as the Bank may decide (including reserving a right to the Bank to proceed against you on behalf of any purchase, assignee or transferee) your outstanding and dues to any third party of the Bank's choice without reference to or without written intimation by the Bank to you and any such assignment or transfer shall bind you to accept such third party as a creditor exclusively or as a joint creditor with the Bank, but with the right to the Bank to continue to exercise all power hereunder on behalf of such third party and to pay over such outstanding and dues to such third party or to appropriate the same, as the Bank may decide. Any costs incurred by the Bank towards enforcement of its rights and recovery of outstanding dues shall be debited to your account.

Miscellaneous

1. Where the Bank acts on good faith in response to any oral or electronic instruction or inquiry by you in respect of any matter in relation to the Card, you will not be entitled to claim or allege any loss, damage, liability, expenses etc. attributable directly or indirectly, to any such good faith action of the Bank and you agree to hold the Bank harmless in respect thereof,
2. Your liabilities under these General Card Terms shall not be discharged till outstanding on the Card Account is cleared in full.
3. The Total Outstanding on the Card Account together with the amount of any Charges effected but not yet charged to the Card Account, will become immediately due and payable in full to the Bank on bankruptcy, insolvency, dissolution or winding up of a corporate body of a Card Member or death of the Primary Card Member. The Primary Card

Member's estate will be responsible for setting off any outstanding on the Card Account and should keep the Bank indemnified against all costs including legal fees and expenses incurred in recovering such outstanding. Pending such repayment, the Bank will be entitled to continue to levy Finance Charges at its prevailing rate.

4. The Card Account would also be liable to be suspended on instructions from any Government/Regulatory body. All amount outstanding on the Card shall be deemed to have immediately become due on instructions from Government/Regulatory bodies as the case may be, and the Bank shall be entitled to recover the same in accordance with the relevant laws in force without prejudice to your obligation to forthwith pay all outstanding.
5. The Bank shall from time to time, in consultation with Scapia be entitled to add to and/or amend all or any of these terms and conditions, which shall be communicated in writing to you via SMS or email. You will be bound by such amendments unless all the outstanding in the Card Account is paid and the Card is returned to the Bank for cancellation or cut into half before the date upon which any amendment is to have effect.
6. The Bank shall, in consultation with Scapia be entitled to add any new or withdraw any existing facility or features available to you under these terms and conditions.
7. All published information is correct and complete at the time of publishing. The Bank or Scapia cannot assume responsibility for changes, which occur after printing.

Right to set off/Banker's lien

In the event of your delaying or being unable to settle your Credit Card outstanding as provided in these General Card Terms for any reason whatsoever, the Bank may exercise its right of general lien and/or set off and adjust any such outstanding against a property or assets (both moveable and immovable in possession of the Bank from time to time, including but not limited to amounts lying in term deposits and/or in other accounts with the Bank, property, assets (both moveable and immovable), securities, stocks, shares, monies, and the like of the Primary Card Member and the Add-on Card Member(s) that are or may be in the possession of the Bank or may come into the possession of the Bank from time to time, irrespective of them or anyone or more of them being held in safe custody by the Bank or otherwise.

Waiver/Acquiescence

No delay in exercising, or omission to exercise any right, power or remedy accruing to the Bank upon any default under these General Card Terms, or any other agreement or document shall impair any such right, privilege, power or remedy nor shall it be construed to be a waiver/forbearance thereof or any

acquiescence in such default; nor shall, the action or inaction of the Bank in respect of any default or any acquiescence by it in any default, affect or impair any right, power or remedy of the Bank or Scapia in respect of any subsequent or similar default.

Arbitration Clause

1. All disputes, differences and/or claim or questions arising out of these presents or in any way touching or concerning the some or as to constructions, meaning or effect thereof or as to the right, obligations and liabilities of the parties hereunder shall be referred to and settled by arbitration, to be held in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments thereof of Sole Arbitrator or to an arbitral institution or to an institution/platform providing online dispute resolution ('ODR') facility. The arbitration proceedings shall be conducted under fast-track procedure envisaged in Section 29B of the Act. The award given by the Sole Arbitrator/Arbitral Tribunal shall be final and binding on the Cardholder/s
2. Upon occurrence of a dispute, the aggrieved party shall issue a notice to the other party invoking the arbitration clause and providing the name and details of the person proposed by it to act as the Arbitrator or suggest referring the dispute to be administered by an arbitral institution or an institution/platform providing ODR facility, named in the notice. In the event the other party is not agreeable to the proposal of the aggrieved party, the other party shall convey the same in writing to the aggrieved party within 15 days of receipt of notice of invocation, failing which it shall be deemed that other party has agreed to the proposal of the aggrieved party and the person proposed by the aggrieved party shall be appointed as the Arbitrator or the dispute shall be referred to arbitration to be administered by an arbitral institution or an institution/platform providing ODR facility, named in the notice.
3. The term "dispute" for the purpose of Arbitration includes default committed by the Borrower(s) in due repayment of the loan/credit facility as well as any breach of any of the terms of this agreement or the sanction letter and in such an event the Bank shall be the aggrieved party.
4. In the event of the Arbitrator appointed by the parties as above expires or is otherwise unable to act for any reason whatsoever, the Parties shall appoint another person as the Arbitrator in the same manner as specified in this Clause. The Arbitrator so appointed shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor.
5. The venue of arbitration proceedings shall be at the respective places provided in the clause below. The arbitration proceedings shall be carried out in English language. Any proceedings to be initiated in any

court of law in pursuance of this arbitration shall be instituted and held in the courts of competent jurisdiction situated at the place specified in the Schedule only.

6. The Sole Arbitrator/Arbitral Tribunal shall also be entitled to pass an Award on any securities furnished by or on behalf of the Borrower(s). The Sole Arbitrator/ Arbitral Tribunal is further entitled to pass any interim as may be appropriate to protect the interest of the Borrower(s) and the Bank, pending resolution of the dispute.
7. Notwithstanding anything contained hereinabove, nothing contained in this arbitration clause shall apply to disputes or claims falling within the pecuniary jurisdiction of Debts Recovery Tribunal established under Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993.

You hereby agree and acknowledge that in no circumstance will Scapia be a party to any such dispute and/or proceedings.

The venue of arbitration shall be stated as below.

No	State wherein the customer resides /communication address	Place of arbitration
1	Customer having address in state of Kerala	Ernakulam
2	Customer having address in states Tamil Nadu	Chennai
3	Customer having address in states of Karnataka, Andhra Pradesh & Telangana.	Bangalore
5	Customer having address in states of Maharashtra, Goa, Gujarat, Daman & Diu & Dadra & Nagar Haveli.	Mumbai
6	Customer having address in states West Bengal, Odisha, Assam, Nagaland, Meghalaya, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Tripura & Mizoram.	Kolkata
7	Customer having address in states of Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Delhi, Jammu & Kashmir, Chandigarh, Madhya Pradesh & Uttarakhand.	New Delhi

Jurisdiction and Governing Law

It is agreed by and between the parties that the Courts in Ernakulam will have the exclusive jurisdiction to try cases between the parties, after exhausting the Arbitration clause. However, prior to opting for arbitration, the parties herein

are not precluded from exercising any other remedies available to them under Law. This Agreement shall be governed by the laws of India.

References

Reference to any gender shall include all genders and reference to single number shall include reference to plural number and vice versa in context thereto.

Acceptance

1. You have read and understood the entire General Card Terms and the MITC constituting of all clauses and agree to be bound by all the conditions stated herein.
2. You accept that terms and conditions and other documents about Credit Card have been explained in the language understood by you and that you have understood the entire meaning of various clauses.
3. Usages of card indicates acceptance of the terms & conditions laid out in the General Card Terms and the MITC .
4. You shall be responsible for regularly reviewing General Card Terms, MITC and other documents relating to the Credit Cards including any amendments thereto which will be posted on the website of the Bank. You shall be deemed to have accepted such amended terms by continuing the usage of the Federal Bank Credit Card.

Scapia Loyalty Program

By using your Scapia Federal Credit Card, you are enrolled in the Scapia Loyalty Program. Scapia Loyalty program will be administered through the below three categories (Managed by Scapia):

1. Scapia Coins
2. Scapia Benefits

1. Scapia Coins:

Scapia coins can be accumulated and further utilised against services offered (e.g., flights, stays, buses etc. or any other service offered by Scapia from time to time) on the Scapia platform. Also, Scapia Coins can be utilised against other exciting offers shown in the Scapia App from time to time.

1.1 Earn Scapia Coins

1. Rewards earned on card transactions will be converted to Scapia coins on the statement date with the conversion : 1 Reward = 1 Scapia Coin
2. Bonus Coins: You may also earn Scapia Coins on non-financial transactions such as Refer a Friend, Completing Certain Tasks like Activating the Card etc. Eligibility norms and conditions for earning Bonus Coins will be decided by Scapia from time to time and this will be published in the Scapia App.

1.2 Utilise Scapia Coins:

- 1 Scapia Coins can be utilised on the Scapia app to book flights, stays, buses, trains and Visas or any other service available on the Scapia app.
- 2 Scapia Coins so utilised will be automatically subtracted from the accumulated coins in your Scapia account.

1.3 Value of Scapia Coins:

Value of Scapia Coins may change from time to time as decided by Scapia. Any change in the value of the coins will be communicated with one month's notice in advance. Currently the Scapia Coins are valued as per the table given below.

Description	Value of Scapia Coins
For redemption against Flights & Hotel/Stay, Bus Bookings and any other services on Scapia App	5 Scapia Coin = Rs. 1

Other Terms & Conditions of Scapia Coins:

- a. Once the Rewards are converted as Scapia Coins, the coin balance shall be reflected on the Scapia app. You can also view the Scapia Coins accumulated by you on the Scapia app.
- b. Scapia Coins have 36 months validity, except in circumstances detailed below:
 - If the Scapia Federal Credit Card is not used for more than 365 days, the accrued Scapia coins will be nullified.
 - In case a cardmember cancels any Flight/Hotel booking that was availed of by redeeming Scapia Coins, Scapia Coins can be reinstated as decided by Scapia from time to time.
- c. In case of cardmember's death, the Scapia Coins earned but not redeemed at that time will be forfeited.

- c. On closure/termination of Scapia Federal Credit Card membership, any Scapia Coins pending to be claimed in the cardmember's account will be forfeited.

Scapia Federal Credit Card holders will get access to exclusive benefits provided by Scapia in partnership with Federal Bank.

2. Scapia Benefits:

Scapia Federal Credit Card holders will get access to exclusive benefits provided by Scapia in partnership with Federal Bank.

2.1. Complimentary Access to Domestic Airport Lounge:

- a. Scapia Federal Credit Card members will be provided complimentary access to select Airport Lounges in India. List of participating lounges can be accessed [here](#).
- b. Eligibility: All active Scapia Federal Credit Card cardholders will be eligible to access complimentary lounge access within the eligible quota. If the complimentary access eligibility is exhausted, customers will be charged entry as per the charges decided by the Lounge providers. Quota complimentary access are decided as follows.

Category	No of Complimentary Access	Condition for eligibility
Unlimited Domestic Lounge	Unlimited	- Customers should spend Rs. 20,000 combined on Scapia Federal Credit Card in a billing cycle for unlocking this facility. Customer should also be Active on a monthly basis for retaining the Unlimited Domestic Lounge free access. - The transactions done on specific card variant will be eligible for the respective specific variant eligibility and cannot be combined with both variants. - Transactions done in one statement cycle as selected by the customer - Unlimited Lounge Access will be enabled within 3-5 working days post the Billing Date if the customer is eligible for the Access.

c. How it works

1. Eligible Cardholders will be allowed access to all Participating Airport Lounges under the Program, based on one of the following entry types:

Entry Method 1: Free entry for Eligible Cardholder only, (subject to a valid lounge QR code generated on Scapia App). All Eligible Cardholders must be validated with a valid boarding pass on the Scapia app and the lounge. The QR code generation will be subjected to the customer's presence at the airport and customer will have to provide the location access.

Entry Method 2: Paid entry for the Eligible Cardholder according to the respective prices of usage displayed at the Participating Airport Lounges, for himself/herself only or for his/her accompanying guests (payment will be made directly at the Participating Airport Lounge by the Eligible Cardholder).

2. The access to the lounge will be available on a first come first serve basis and some lounges may operate with limited seating.
3. Participating Airport Lounges may reserve the right to enforce a maximum stay policy (usually 2 or 3 hours). This is at the discretion of the individual lounge operator who may impose a charge for extended stays.
4. Creation of the lounge access QR is dependent on the availability of the customer at the airport. Customer consents to provide the location access before generating the QR code. The customer also consents to upload the boarding pass on the mobile application of Scapia.
5. Before extending Lounges access, the name of traveller on the QR will be matched with the name on the Boarding pass/Ticket, to ensure access is being availed by the entitled cardholder.
6. Lounge staff has the right to terminate the lounge visit early or to refuse entry to any Customer who is intoxicated or behaving in a disorderly fashion or is otherwise in violation of the lounge conditions and for any statutory, regulatory, or airport policy reasons including but not limited to health and safety policies or fire safety regulations.
7. Scapia Lounge QR is not transferable, not refundable and cannot be exchanged wholly or partly. Scapia reserves the right to embargo issuing future vouchers in case the voucher is being transferred or exchanged to another Scapia/non Scapia member.
8. Scapia shall not be held responsible under any circumstances for any disputes that may occur in, or in relation to the usage of, a Participating Airport Lounge, including without limitation, between the Eligible Cardholder and another guest, airport user, or Participating Airport Lounge operator and/or its staff/representatives.

9. The privileges under the Program is a standalone offer and cannot be clubbed together and/or in any way be combined with any other offer of the Participating Airport Lounge in any manner, or form. For the avoidance of doubt, privileges under the Program cannot be exchanged or redeemed for cash.
10. Participating Airport Lounges have no contractual obligation to announce flights, nor to remind guests of their flight boarding times, and Eligible Cardholders are solely responsible for abiding by boarding times stated on their flight tickets. Accordingly, for the avoidance of doubt Scapia shall not be liable under any circumstances in relation to any failure to board flights (for any reason) by an Eligible Cardholder.
11. Eligible Cardholders agree and acknowledge that they may be refused entry and/or asked to vacate for non-compliance with the rules and policies and, for the avoidance of doubt, will not make any complaints against, or hold Scapia responsible.
12. Complimentary Lounge Access will be available only for the Card Holder. Lounge provider may check the name displayed on the Credit Card with the Boarding Pass to ensure the same. Guest access, for members who accompany the credit card holders will be charged as per the standard prices of the lounge provider.
13. Terms and Conditions for lounge access will be communicated through the Scapia App from time to time.

2.2. Zero Forex Mark-up:

- a. Scapia Federal Credit Card holders will not be charged any Forex Mark-up while shopping abroad.

2.3. No Cost EMI for Travel Transactions on Scapia App

- a. Scapia Federal Credit Card holders will be eligible for availing No Cost EMI facility for travel booking done on Scapia App.
- b. This facility will be available for Flight/Hotel Booking transactions done on Scapia App and subsequently converted as EMI.
- c. No cost EMI facility will be available only for EMI transactions with tenure selected as 3 months or as decided by Scapia and the bank from time to time.
- d. Under this benefit, customers will be charged the interest on the EMI as per the standard interest rates. However, an amount equivalent to monthly interest levied in the Credit Card will be credited by Scapia to the card holders account making this no cost for the customers.
- e. Cost subvention under the No Cost EMI benefit is available only for the interest cost levied by the Bank. Customers shall be charged, Processing Fee, as applicable for converting into EMI facility.

Add-on Credit Card

1. A Card Account may have multiple Additional Credit Cards, the number of Additional Credit Cards that may be issued per Card Account shall be determined at the sole discretion of the Bank. Maximum of 3 Add-on Credit Cards can be issued against every eligible Primary Credit Card.
2. Single shared credit limit will be set against the Primary Credit Card and Add-on Credit Cards. Add-on Credit Card transaction limit is set at the discretion of Primary Cardholder which can be up to the maximum credit limit allowed on Primary Credit Card.
3. All Add-on Credit Card's transactions related communications including transaction OTP will be shared to the Add-on Cardholder.
4. Upon receipt of Primary Cardholder's request and authorization for an Additional Credit Card, the Bank in its sole discretion may issue Additional Credit Card to the Additional Credit Card applicants.
5. The Primary Cardholder will be fully responsible and liable for all transactions and Charges including fees, interest, charges etc. incurred on the Add-on Credit Card, which will be included in your statement of Account.
6. These General Card Terms shall also be binding on the Additional Card Members. The Primary Card Member hereby undertakes that it has been authorised by the Additional Card Member to consent to these General Card Terms and the MITC on behalf of the Additional Card Member and shall be liable for any action undertaken by the Additional Card Member that is in contradiction with the terms set out herein.
7. The spends done on Add-on Credit Card will also accumulate reward points. The Primary Cardholder can decide who will be the recipient of these rewards and such allocation can be amended by the Primary Cardholder on a monthly basis after the date of generation of Card statement. Such changes will come into effect from the following Card statement cycle.
8. For all transactions on the Add-on Credit Card, the transaction alert and OTP will be sent only to the Add-on Cardholder's registered mobile number.
9. Bank reserves the right to change the features/benefits of the Add-on Credit Card without any notice and without giving a reason whatsoever. The Account associated with the Primary Card should be in regular status for Add-on Credit Card to be issued. Definition of Account's 'regular status' is defined as per Federal Bank internal policies.
10. Bank reserves the right to decline the application for Add-on Credit Card without giving any reason whatsoever.

11. Add-on Cardholder will not have the authority to change demographic details like address or mobile number of the Primary Cardholder.
12. Post transaction EMI facility will be available to the Primary Cardholder only. However, the Add-on Cardholder can avail checkout and in-store EMIs during the payment at the merchant.
13. Primary Cardholder may request closure of or withdraw the facility of Additional Credit Card by providing a written request and consent to the Bank through available channels. On receipt of the same, the Bank will take necessary steps to cancel the Additional Credit Card. Either the Primary Cardholder or the Add-on Cardholder may initiate a request to the Bank for blocking or deactivation of the Add-on Credit Card.
14. The Additional Credit Card facility and privileges will be automatically withdrawn if the primary Card Account is terminated for any reason or the status of the Account changes from regular.
15. Spend threshold for the lounges and the airport privileges will be same for the Add-on Cardholder. Add-on Cardholder will have to spend the specified amount separately to use these benefits.
16. Federal Bank reserves the right at any time, without previous notice, to add, alter, modify, change or vary all or any of these terms and conditions or to replace wholly or in part this scheme by another offer, whether similar to the offer or not, or to withdraw it all together. You will not hold Federal Bank responsible for, or liable for, any actions, claims, demands, losses, damages, costs, charges, expenses, which a participant may suffer, sustain or incur by the offer of the Additional Credit Card facility. All disputes, if any, arising out of or in connection with or as a result of the offer of the Additional Credit Card facility or otherwise relating hereto shall be resolved in accordance with the dispute resolution provisions hereunder.

Virtual Credit Card Terms

These Virtual Credit Card terms and conditions (“**Virtual Card Terms**”) apply to and regulate the provision of Virtual Credit Card facilities offered by the Bank. These Virtual Card Terms are in addition to and not in derogation of the General Card Terms, the terms and conditions governing Internet Banking services of the Bank and the terms and conditions for saving account of The Bank (collectively “**Primary Terms**”). To the extent of any inconsistency between these Virtual Card Terms and Primary Terms in the context of virtual Credit Card, these Virtual Card Terms shall prevail. All capitalized terms used

but not defined herein shall have the respective meanings ascribed to it in the Primary Terms.

1. **“Account/s”** shall mean the definition of Account(s) within the meaning of and as defined in the Primary Terms.
2. **“Virtual Credit Card”** shall mean an additional credit card issued to the Primary Card Member on his / her existing Card Account. This add-on credit card shall be created and stored, as an electronic image, on the logged in section of the Account/s of the Primary Card Member. No physical plastic shall be issued for the Virtual Credit Card.
3. **“Virtual Credit Card Member”** means the Primary Card Member to whom a Virtual Credit Card has been issued by Federal Bank subject to the Primary Terms and these Virtual Card Terms.
4. The Primary Card Member will be issued a Virtual Credit Card by default. The Virtual Credit Card enables Card Member to transact online within a credit limit of his choice, however, under no circumstances beyond the Credit Limit on his Credit Card at any time.
5. By applying and agreeing to avail the Virtual Credit Card facility, the Primary Card Member shall be deemed to have agreed to and accepted these Virtual Card Terms as are mentioned herein below.
6. The details of the purchase made using Virtual Credit Card will be displayed in the statement and no separate statement will be sent to the Primary Card Member. The Primary Card Member has to make a single payment towards the expense incurred using Physical Card and Virtual Credit Card.
7. Key details of the Virtual Credit Card like the card number, expiry date of the Virtual Credit Card, CVV etc. will be visible only on the Virtual Credit Card section available in the logged in section of the Account. The credit limit of Virtual Credit Card shall be that of the primary Card. Hot listing / blocking of Virtual Credit Card can be done through clicking relevant options under Virtual Credit Cards section available in the logged in section of the Account. If the Virtual Credit Card Member closes the Account/s, the Virtual Credit Card facility will continue to exist.
8. The use of Virtual Credit Card shall be restricted to online transactions only. The Card Member is aware that in case of online transactions, the charge slips will not be signed by the Card Member at the time of the purchase made using the Virtual Credit Card. Accordingly, the Card Member accepts that, even in the event of any dispute regarding the authenticity or validity of such a purchase or a charge, for any reason whatsoever, the Card Member will make payment to the Bank of all out standings due and shall not hold the Bank and/or Scapia liable / responsible under any circumstances.
9. The Federal Bank shall not be liable if any merchant refuses to accept payment through Virtual Credit Card. The facility of Virtual Credit Card is meant only for the purpose of providing the Virtual Credit Card Member with a facility of making online payment and does not ensure

quality, safety or legality of the transaction undertaken by the Virtual Credit Card Member.

10. The usage of the Virtual Credit Card shall amount to acceptance of these Virtual Card Terms and the Primary Terms. The Virtual Credit Card Member shall be bound /liable by/under these Terms for payment and he/ she shall ensure payment of all charges due and payable on the usage of the Virtual Credit Card. The facility of a Virtual Credit Card, being a special facility at such fee/rate as may be stipulated by the Bank from time to time.
11. All aspects of the Primary Terms which has not been specifically covered herein shall apply mutatis mutandis in the context of Virtual Credit Cards.

Version (13) 20.06.2026

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड कार्डधारक के लिए अनुबंध और सामान्य नियम एवं शर्तें

जारीकर्ता

Federal Bank

परिचय

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड की ये सामान्य नियम एवं शर्तें (कार्ड के सामान्य नियम) फेडरल बैंक द्वारा जारी किये गए क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं। फेडरल बैंक एक ऐसी बैंकिंग कंपनी है जिसका गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत किया गया और इसका पंजीकृत कार्यालय फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल (बैंक) में है। ये नियम एवं शर्तें इसके को-ब्रांडिंग पार्टनर Scapia Technology Private Limited के साथ साझेदारी में जारी की गयी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, टावर B, मंत्री कॉमर्सियो, करियम्मना अग्रहरा, बिल्लंदुर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560103 (Scapia) में स्थित है। उल्लेखित को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को आगे Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत, Scapia उन Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड की बिक्री और वितरण कर रही है, जिन्हें फेडरल बैंक द्वारा जारी किया गया है।

कार्ड के सामान्य नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं। ये नियम हैं: (i) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के नियम 3(1)(a) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं, और (ii) कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और इसके लिए Scapia या बैंक से किसी भी प्रकार के भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान में लागू इन नियमों को अंतिम बार 27 फ़रवरी, 2026 को अपडेट किया गया था और इनमें समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर सबसे नया संस्करण हमेशा उपलब्ध रहेगा। कार्ड के सामान्य नियमों में किसी भी बदलाव के लिए इन्हें समय-समय पर देखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि आप Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड का लगातार उपयोग करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप ऐसे बदलावों के लिए अपनी सहमति देते हैं और आप इनके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की स्वीकृति के अनुसार, आप (“आप” या “आपका” या “आप स्वयं” या “ग्राहक” या “उपयोगकर्ता”, जैसा संदर्भ में उपयुक्त हो) सहमत होते हैं:

- c) Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग यहां दिए गए कार्ड के सामान्य नियमों और आवेदन पत्र में संदर्भित सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (“MITC”) के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें बैंक समय-समय पर संशोधित कर सकता है।

- d) यदि आप कार्ड के सामान्य नियमों या MITC से सहमत नहीं हैं, तो आप हमें लिखकर सूचित करेंगे और Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड को नष्ट करके (काटकर) इसकी प्राप्ति तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर हमें वापस करेंगे।

परिभाषाएं

26. "एप्लीकेशन/ऐप" का अर्थ है Scapia डिजिटल और मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप Scapia द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके साथ ही आप Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस कार्ड के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं;
27. "ऐप पिन" का मतलब उस व्यक्तिगत पहचान संख्या से है जो कार्ड मेंबर एप्लीकेशन से बनाता है, ताकि इसे पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित किया जा सके।
28. "अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड" या "ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड" का मतलब है कि मुख्य कार्ड मेंबर के अनुरोध पर एक अतिरिक्त कार्ड मेंबर को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है।
29. "अतिरिक्त कार्ड मेंबर" या "ऐड-ऑन कार्डधारक" का मतलब है वह व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक / NRI / भारत में कार्यरत विदेशी नागरिक और प्राथमिक कार्ड सदस्य के निकट परिवार का सदस्य है, जैसे पति/पत्नी, भाई, बहन, माता-पिता और सास-ससुर, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे मुख्य कार्ड मेंबर के अनुरोध पर अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और जिसके खर्च कार्ड खाते से चार्ज किए जाएंगे।
30. "बैंक" या "फेडरल बैंक" का मतलब फेडरल बैंक लिमिटेड से है।
31. "बिलिंग साइकिल" आपके Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड लेन-देन के आधार पर दो लगातार बिलिंग स्टेटमेंट्स जनरेट होने के बीच की अवधि होती है।
32. "क्रेडिट कार्ड", या 'कार्ड' या 'Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड' का अर्थ है वह मान्य क्रेडिट कार्ड, जो बैंक द्वारा जारी किया गया है और जो आपको कार्ड खाते का उपयोग एक पूर्व-निर्धारित क्रेडिट लिमिट के भीतर करने का अधिकार देता है। "कार्ड" का अर्थ है सभी प्रकार के कार्ड, चाहे वो भौतिक कार्ड हों, वर्चुअल/डिजिटल कार्ड हों, या टोकनाइज़्ड कार्ड हों।
33. "कार्ड मेंबर", 'मुख्य कार्ड मेंबर', 'मुख्य कार्डधारक', 'कार्डधारक', 'सदस्य', 'ग्राहक', 'वह', 'उसका', या इसी प्रकार के सर्वनाम का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है और जिसके नाम पर कार्ड खाता बनाए रखा गया है।
34. "कार्ड खाता" या "खाता" का अर्थ उस खाते से है, जिसे बैंक इन नियमों और शर्तों के तहत मुख्य कार्ड मेंबर के नाम पर बनाए रखता है।
35. "क्रेडिट लिमिट" का अर्थ उस अधिकतम क्रेडिट से है, जिसका उपयोग किसी भी समय कार्ड खाते पर किया जा सकता है। क्रेडिट लिमिट में घरेलू सीमा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी शामिल होगी। घरेलू सीमा वह अधिकतम क्रेडिट लिमिट है, जो घरेलू लेन-देन के लिए निर्धारित की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वह अधिकतम क्रेडिट लिमिट है, जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए निर्धारित की गई है।

36. **"शुल्क"** का अर्थ है वे लेन-देन, जो कार्ड के इन सामान्य नियमों के अनुसार कार्ड खाते पर किए गए हैं, चाहे कार्ड मेंबर ने चार्ज फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं। इसमें शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं – कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके किए गए सामान, सेवाओं की खरीद या कैश एडवांस या ड्राफ्ट, ज्वाइनिंग फीस, वार्षिक शुल्क, वित्तीय शुल्क, क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च करने का शुल्क, देर से भुगतान करने का शुल्क, लेन-देन शुल्क, सेवा शुल्क, GST और कोई अन्य शुल्क/राशि, जिसे कार्ड सदस्य इस कार्ड के सामान्य नियमों के अनुसार बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत या उत्तरदायी है।
37. **"कैश लिमिट"** का अर्थ है वह राशि, जिसे कार्ड मेंबर गैर-खरीदारी लेन-देन के लिए नकद या नकद समकक्ष के रूप में उपयोग कर सकता है।
38. **"घरेलू लेन-देन / उपयोग"** का अर्थ है वह लेन-देन, जो भारत में मर्चेन्ट आउटलेट्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) या ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से किया जाता है।
39. **"इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल"** का अर्थ है ब्रांच टेलर टर्मिनल, ATM, प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल या EDC (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन) और अन्य उपकरण, जिनमें क्रेडिट कार्ड और/या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग किया जा सकता है, और जिन्हें बैंक द्वारा नियमों एवं शर्तों के अनुसार अधिकृत किया गया है।
40. **"फाइनेंस शुल्क"** का अर्थ है और इसमें शामिल है, कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि पर लागू ब्याज, जैसा कि इन नियमों और शर्तों में निर्धारित है।
41. **"अंतरराष्ट्रीय लेन-देन / उपयोग"** का अर्थ है वह लेन-देन, जो विदेशी मर्चेन्ट आउटलेट्स, विदेशी ATM या भारत के बाहर शुरू होने वाली वेबसाइटों पर किया जाता है।
42. **"मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट"** का अर्थ है कोई भी कंपनी, निगम, संस्थान, फर्म, संघ, व्यक्ति या ऐसा कोई अन्य संगठन, जिसे बैंक समय-समय पर घोषित कर सकता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, और जिसे MasterCard/VISA/Rupay मर्चेन्ट के रूप में नामित किया गया हो और/या जिसके साथ किसी MasterCard/VISA/Rupay सदस्य बैंक का ऐसा समझौता हो, जिससे कार्ड मेंबर कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके सामान, सेवाएं या कैश एडवांस प्राप्त कर सके।
43. **"NACH (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)"** या **"e-NACH"** का अर्थ है वह डेबिट क्लियरिंग सेवा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है और जिसमें भागीदारी के लिए कार्ड मेंबर ने लिखित रूप में सहमति दी है, ताकि कार्ड खाते में बकाया राशि का भुगतान आसानी से हो सके।
44. **"खरीदारी"** का अर्थ है और इसमें शामिल है, कार्ड मेंबर द्वारा कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके किए गए सामान और सेवाओं की खरीदारी।
45. **"भुगतान की अंतिम तिथि"** का अर्थ है वह तारीख, जिस दिन या उससे पहले कार्ड मेंबर को बैंक को भुगतान करना होता है।
46. **"प्राइमरी क्रेडिट कार्ड"** का अर्थ है वह कार्ड, जो मुख्य कार्ड मेंबर को जारी किया गया है।
47. **"कुल बकाया"** का अर्थ है कार्ड खाते पर बैंक को देय कुल बकाया राशि, जिसमें शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं – चार्ज, शुल्क और कोई अन्य राशि, जो बैंक समय-समय पर बिलिंग साइकिल में लगा सकता है।

48. “अस्थायी क्रेडिट लिमिट में वृद्धि” का अर्थ है उस क्रेडिट लिमिट में वृद्धि, जिसका अनुरोध कार्ड मेंबर किसी विशेष उद्देश्य के लिए करता है। क्रेडिट लिमिट में यह वृद्धि एक निर्धारित समय अवधि के लिए की जाती है और इसके बारे में कार्ड मेंबर को सूचित किया जा सकता है, और समय समाप्त होने पर इसे वापस वास्तविक सीमा पर लाया जाता है।
49. “वैध कार्ड” का अर्थ है वह क्रेडिट कार्ड, जिसे बैंक ने जारी किया है और जिसकी अंतिम तिथि अभी पूरी नहीं हुई है, वह क्षतिग्रस्त नहीं है और न ही बैंक या कार्ड सदस्य द्वारा रद्द किया गया है।
50. “हम”, ‘हमें’, ‘हमारा’ या इसी तरह के सर्वनाम का अर्थ है **Scapia**, उसके उत्तराधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति, प्रशासक, विनिवेशक आदि, जैसा उपयुक्त हो।

Scapia मोबाइल एप्लीकेशन

आप **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से एप्लीकेशन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें कुछ काम शामिल हैं:

9. अपने ऐप का पिन सेट करना;
10. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना;
11. क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना;
12. अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना;
13. अपनी क्रेडिट लिमिट और नकद निकालने की सीमा नियंत्रित करना;
14. ऑनलाइन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल शुरू करना;
15. अपना **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड पिन सेट करना (पॉइंट ऑफ सेल और **ATMs** में इस्तेमाल के लिए);
16. अपने **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़े किसी भी मुद्दे या सवाल के लिए शिकायत या पूछताछ करना।

आप सहमति देते और स्वीकार करते हैं कि आप उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के हकदार हैं, बशर्ते कि आपने एप्लीकेशन के नियम एवं शर्तों और हमारी गोपनीयता नीति के लिए स्पष्ट सहमति दी हो। उपरोक्त एप्लीकेशन नियम एवं शर्तों, गोपनीयता नीति, या कार्ड के सामान्य नियमों में कुछ भी वर्णित होने के बावजूद, आप निम्नलिखित को मानते और स्वीकार करते हैं:

5. **Scapia** केवल **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड की बिक्री और वितरण करती है।
6. उपरोक्त बिक्री और वितरण के अलावा, **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी अन्य सेवाएं बैंक के **SDK/API** के माध्यम से **Scapia** द्वारा प्रदान की जाती हैं, और इस अनुसार ऐसे सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी केवल बैंक की होती है।
7. **Scapia** के पास आपके किसी भी लेन-देन के डेटा की जानकारी नहीं होती है; और
8. **Scapia** द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि, जिसमें कार्ड के सामान्य नियमों और **MITC** के तहत **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं, नहीं है जिसके लिए **Scapia** को भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता हो। **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड जारी करने से संबंधित सभी लाइसेंस/पंजीकरण बैंक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

समझौता

एक कार्डधारक के रूप में, आप नीचे दिए गए उन नियमों एवं शर्तों के बारे में सहमति देते हैं, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक संस्था के निर्देशों के अनुसार या बैंक की नीतियों में समय-समय पर बदलाव के कारण संशोधित किया जा सकता है।

7. कार्ड केवल तभी मान्य होगा जब आप किसी मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट को एक वैध कार्ड देंगे।
8. यह कार्ड बैंक की संपत्ति है और बैंक द्वारा मांगने पर बिना किसी देरी के देना या सौंपना चाहिए।
9. यह कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, और आपको इसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। आप सहमति देते हैं और स्वीकार करते हैं कि, कानून के अनुसार जितना संभव हो, बैंक या **Scapia** कार्ड के दुरुपयोग और आपके व्यक्तिगत नियंत्रण खो देने के कारण हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

10. आप कार्ड का उपयोग केवल भारत में लागू कानूनों के अनुसार, भारतीय रुपये के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में भुगतान के लिए कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत जारी नियम, निर्देश/परिपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं ("**FEMA**"). हालांकि, आप कार्ड का उपयोग नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए नहीं कर सकते।
11. कार्ड का उपयोग किसी भी ऐसे लेन-देन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में गैरकानूनी या अनुचित हो।
12. आप यह भी मानते हैं कि आप कार्ड का उपयोग उन वेबसाइटों पर लेन-देन करने के लिए नहीं करेंगे, जिन्हें भारत के कानूनों के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

कार्ड सेवाएं

आपको जारी किया गया **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड फेडरल बैंक की संपत्ति है। फेडरल बैंक को अधिकार है कि वह (1) कार्ड के सभी लेन-देन के अनुकूल आंतरिक प्रक्रियाएं लागू करे; (2) ग्राहक की क्रेडिट योग्यता जानने के लिए क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त करे; और (3) किसी भी आवेदक को कार्ड जारी करने से अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इंकार करे।

यह कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और इसका उपयोग यहां बताए गए नियमों तथा समय-समय पर फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शर्तों के अधीन है। कार्ड के इन सामान्य नियमों और **MITC** के अतिरिक्त, कार्ड सदस्य बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का भी पालन करेंगे।

बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ("**बैंक कस्टमर केयर सेंटर**") सभी कार्ड मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। जो कार्ड मेंबर बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से किसी भी सेवा/सुविधा का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्रेडिट लिमिट बढ़ाना, लेन-देन की जानकारी लेना, कुल बकाया राशि देखना, स्टेटमेंट विवरण, भुगतान की अंतिम तिथि आदि, वे हमेशा उन नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेंगे, जिन्हें फेडरल बैंक ने इन सेवाओं/सुविधाओं और उन्हें प्राप्त करने के तरीके के संबंध में समय-समय पर संशोधित किया है। आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ग्राहक सहायता में **Scapia** की भूमिका केवल आपका पहला संपर्क बिंदु होने तक सीमित है। **RBI** के निर्देशों के अनुसार, **Scapia** केवल आपकी शिकायतों/सहायता अनुरोधों को बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र तक पहुंचाएगी।

कार्ड की वैधता, समाप्ति और नवीनीकरण

5. आपका कार्ड उस वर्ष के कैलेंडर महीने के अंतिम दिन तक वैध रहेगा जो कार्ड पर लिखा गया है, जब तक कि बैंक निर्धारित तिथि से पहले इसे रद्द न कर दे। यदि कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद भी आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक किसी भी परिणाम के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. कार्ड की समाप्ति या रद्द होने पर बैंक तय करेगा कि इसे नवीनीकृत किया जाए या फिर से चालू किया जाए। कार्ड की वैधता खत्म होने पर, कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद इसके खो जाने, इस्तेमाल या दुरुपयोग से होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए न तो **Scapia** और न ही फेडरल बैंक जिम्मेदार होंगे, जब तक कि बैंक आपके कार्ड को नवीनीकृत नहीं करता।
7. उपरोक्त के नुकसान के बिना, यदि आप कार्ड के इन सामान्य नियमों और/या **MITC** या बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में जारी किसी अन्य नीति/दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो बैंक अपने आप आपके कार्ड की वैधता नवीनीकृत करेगा और वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड की समाप्ति से पहले आपको नया कार्ड भेज देगा। यदि आपको नया कार्ड नहीं मिला है, तो आप बैंक के निर्दिष्ट ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या समय-समय पर आपको सूचित किए गए पते पर बैंक को पत्र लिख सकते हैं।

8. यदि आप वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड को नवीनीकृत नहीं करवाना चाहते, तो आपको कार्ड की समाप्ति से कम से कम **60** (साठ) दिन पहले बैंक को सूचित करना आवश्यक है। यदि आप समय पर सूचना नहीं देते हैं, तो नवीनीकरण शुल्क (जैसा कि नवीनीकरण के समय लागू होगा) आपके कार्ड खाते से लिया जाएगा और यह राशि वापस नहीं की जाएगी।

शुल्क

आप इस बात से सहमत हैं कि आप कार्ड के संबंध में बैंक को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करेंगे:

- 1.2. ज्वाइनिंग शुल्क:** बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय सूचित की जाएगी।
- 1.2. वार्षिक शुल्क:** बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जिसकी सूचना आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय दी जाएगी और इसके बाद हर वर्ष उसी महीने में लगाया जाता है जब क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।
- 1.3. अतिरिक्त कार्ड ज्वाइनिंग फीस और वार्षिक शुल्क:** बैंक द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त कार्ड के लिए तय की गई वर्तमान दर के अनुसार लगाया जाता है, जिसकी सूचना आपको अतिरिक्त कार्ड जारी करने के समय दी जाएगी और इसके बाद हर वर्ष उसी महीने में लगाया जाता है जब अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।
- 1.5 सुविधा शुल्क:**

- क. एक बिलिंग साइकिल में बिजली, टेलीकॉम और केबल खर्च पर ₹50,000 से अधिक खर्च करने पर 1% का सुविधा शुल्क लगेगा, साथ ही प्रत्येक लेन-देन पर सुविधा शुल्क ₹3,000 तक, GST को हटाकर, ही लगेगा। इस सीमा में मुख्य और अतिरिक्त कार्डधारक दोनों के खर्च शामिल होंगे।
- ख. एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल पर ₹50,000 से अधिक खर्च करने पर 1% का सुविधा शुल्क और GST लगेगा। प्रत्येक लेन-देन पर अधिकतम सुविधा शुल्क ₹3,000 (GST को छोड़कर) ही लगेगा।
- ग. किराए के भुगतान पर 1% का सुविधा शुल्क और GST लगेगा। प्रत्येक लेन-देन पर अधिकतम सुविधा शुल्क ₹3,000 (GST को छोड़कर) ही लगेगा।
- घ. उल्लिखित शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे और बैंक के निर्णय के अनुसार इनमें बदलाव किया जा सकता है। आपके कार्ड पर लागू होने वाले सभी शुल्कों में किए जाने वाले बदलावों के बारे में आपको पहले ईमेल या SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। फीस और शुल्क का विवरण आपकी मांग पर हमेशा उपलब्ध होता है। यह बैंक की वेबसाइट www.federalbank.co.in पर भी उपलब्ध है।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड के लाभ:

2. रिवॉर्ड प्राप्त करें

जब आप अपने Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड से लेन-देन करते हैं, तो लेन-देन की राशि और खरीद की श्रेणी के अनुसार आपके कार्ड खाते में रिवॉर्ड्स जोड़ दिए जाएंगे।

- क. रिवॉर्ड्स केवल किसी भी श्रेणी में की गयी सामान्य खरीदारी पर ही मिलेंगे।

ख. रिवॉर्ड्स निम्नलिखित लेन-देन पर नहीं मिलेंगे: पैसे भेजने, किराए का भुगतान करने, नकद निकालने, EMI के लेन-देन में, विदेशी मुद्रा के लेन-देन में, शिक्षा और स्कूल की फीस, गिफ्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की वापसी, क्रिप्टो/डिजिटल एसेट लेन-देन, फ्यूल, फ्यूल सरचार्ज, किराया और डिजिटल वॉलेट रिचार्ज/लोडिंग, बीमा, बिजली, टेलीकॉम और केबल। EMI रद्द होने पर, पहले मिले रिवॉर्ड्स वापस नहीं मिलेंगे। अयोग्य श्रेणियों के लिए MCCs को नीचे दी गयी तालिका रिवॉर्ड्स के लिए अयोग्य श्रेणियों का MCC वर्गीकरण में बताया गया है।

घ. कभी-कभी आप किसी डिजिटल वॉलेट ऐप पर कोई सेवा/उत्पाद खरीदते हैं जो इन-ऐप खरीदारी की सुविधा भी देता है, इससे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहले वॉलेट में पैसा डाला जाता है और फिर उसी से मर्चेन्ट को भुगतान किया जाता है।

ड. वर्तमान में, अपने Scapia फेडरल Visa क्रेडिट कार्ड से ₹20 या उससे अधिक की खरीदारी पर आपको 10% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ₹20 से कम की खरीद पर रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप ₹48 का रिचार्ज करते हैं, तो आपको 5 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसे ही, यदि आप ₹52 खर्च करते हैं, तो आपको 5 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही, वर्तमान में, अपने Scapia फेडरल RuPay क्रेडिट कार्ड पर ₹500 से अधिक के मान्य खर्च पर आपको 5% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ₹500 से कम की खरीदारी पर रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे।

च. यदि आप Scapia ऐप पर यात्रा संबंधी खरीदारी करते हैं, तो आपको 20% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कार्ड से किये गए लेन-देन पर मिले रिवॉर्ड्स स्टेटमेंट की तारीख पर 1 रिवॉर्ड के बदले 1 Scapia कॉइन मिलेगा। रिवॉर्ड्स को Scapia कॉइन्स में बदलने का अनुपात बैंक समय-समय पर तय करेगा।

रिवॉर्ड्स की अन्य शर्तें:

क. बैंक के पास रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलने का अधिकार है। बैंक के पास रिवॉर्ड पॉइंट्स के कन्वर्जन रेट को बदलने का अधिकार है, वह दिए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस ले सकता है या यहां दिए गए किसी भी नियम एवं शर्तों में बिना पूर्व सूचना के अपने पूर्ण अधिकार से बदलाव कर सकता है।

ख. यदि इस Scapia रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का किसी नियम, विनियम, आदेश या किसी वैधानिक प्राधिकरण के साथ द्वंद्व होता है, तो बैंक को इस रिवॉर्ड प्रोग्राम को आवश्यकतानुसार बदलने या रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।

ग. यदि Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड खाता बकाया, निलंबित या डिफॉल्ट स्थिति में है, या खाते के साथ धोखाधड़ी होने का संदेह है, तो बैंक के पास अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स को रद्द या निलंबित करने का अधिकार है।

घ. यदि किसी लेन-देन को रिफंड/चार्जबैक/रीम्बर्समेंट के माध्यम से वापस किया जाता है, तो उसकी राशि आपके Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड खाते में वापस जमा कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में, उन लेन-देन पर मिले रिवॉर्ड्स आपके कुल रिवॉर्ड बैलेंस से घटा दिए जाएंगे।

ड. यदि कोई उत्पाद/सेवा प्रदाता आपको दिए गए उत्पाद या सेवाओं को वापस लेता है, रद्द करता है या उनमें बदलाव करता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

च. Scapia रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में शामिल मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट्स द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों/सेवाओं की क्वालिटी के लिए बैंक कोई गारंटी नहीं देता।

छ. कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक खरीद को नेटवर्क द्वारा निर्धारित मर्चेन्ट कैटेगरी कोड ("MCC") के आधार पर अलग-अलग 'श्रेणी' में रखा जाता है। इसके अनुसार, मर्चेन्ट द्वारा अधिगृहीत बैंक उन्हें उनकी सेवा के अनुसार अलग-अलग श्रेणी में रखता है। उदाहरण के लिए, खाना, खरीदारी, यात्रा, मनोरंजन, ग्रासरी, बिल, फ्यूल आदि। इस MCC वर्गीकरण को तय करने में Scapia की कोई भूमिका नहीं है।

तालिका: रिवॉर्ड्स के लिए अयोग्य श्रेणियों का MCC वर्गीकरण	
श्रेणी	MCCs
लोडिंग ई-वॉलेट	6540
फ्यूल ट्रांज़ैक्शन	5541, 5542, 5983, 5172
रेंट पेमेंट	6513
शिक्षा और स्कूल की फीस	8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299
सरकारी सेवाएं	9099 से 9999
व्यावसायिक सेवाएं	7399, 7311, 7372, 7538, 7392
क्रिप्टो और वित्तीय संस्थान	6051, 6012, 6011
बिजली/पानी के बिल का भुगतान	4900, 4812, 4814, 4816
इंश्योरेंस का भुगतान	6300

2. विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: विदेश में खरीदारी करते समय **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारकों से विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. ऑफर्स:

क. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्डधारकों को समय-समय पर पार्टनर मर्चेन्ट्स से विशेष छूट/ऑफर मिलेंगे।

ख. ऑफर की पूरी शर्तें और पात्रता की जानकारी **Scapia** ऐप पर दिखाई जाएगी।

ग. यदि इस प्रोग्राम के तहत लाभ लेने के उद्देश्य से या कार्ड का उपयोग करके किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधि पाई जाती है, तो बैंक के पास अधिकार होगा कि वह कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना उसे ऑफर का लाभ लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दे।

घ. भाग लेने वाले मर्चेन्ट्स के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं के वितरण में होने वाली किसी भी देरी या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ड. जहां अनुमति नहीं है या जिन सामान/उत्पाद/सेवाओं पर किसी भी कारण से ऐसे प्रोग्राम लागू नहीं किए जा सकते, वहां कार्ड ऑफर उपलब्ध नहीं होंगे।

क्रेडिट लिमिट

- बैंक अपने विवेकाधिकार से आपकी क्रेडिट लिमिट तय करेगा और समय-समय पर आपको इसकी जानकारी देगा। हालांकि, आप अपने कार्ड खाते और अतिरिक्त कार्ड मेंबर के लिए कम क्रेडिट लिमिट का अनुरोध कर सकते हैं। अतिरिक्त कार्ड मेंबर को दी गई क्रेडिट लिमिट हर बिलिंग साइकिल के बाद फिर से पहले जैसी कर दी जाएगी। आपकी क्रेडिट लिमिट और स्टेटमेंट की आखिरी तारीख तक बची हुई रकम, दोनों आपकी मासिक स्टेटमेंट में दिखेंगी। बैंक अपने विवेकाधिकार से या आपके अनुरोध पर आपकी क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर जांच कर सकता है और आपकी योग्यता के अनुसार उसे बढ़ा या घटा सकता है।
- मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट्स पर कार्ड का उपयोग बैंक द्वारा तय की गई क्रेडिट लिमिट तक ही किया जा सकेगा। यदि बैंक द्वारा अतिरिक्त कार्ड जारी किए गए हैं, तो उन कार्डों का उपयोग भी मुख्य कार्ड खाते की क्रेडिट लिमिट तक ही सीमित रहेगा। किसी भी समय आपके कार्ड खाते का बकाया आपकी क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो

बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान दर के अनुसार आपसे शुल्क लिया जाएगा, चाहे आपने क्रेडिट लिमिट कितनी भी राशि से पार की हो। आपको खर्च की गई अतिरिक्त राशि का भुगतान तुरंत करना होगा। उपरोक्त शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है।

8. यदि आपके कार्ड को आप स्वयं या बैंक किसी भी कारण से रद्द कर देते हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट और कार्ड खाता भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप नियत तारीख तक न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक के पास पूरा अधिकार होगा कि वह तब तक कार्ड की सुविधा को रोके जब तक आपका कार्ड खाता नियमित नहीं हो जाता।
9. अगर आप मासिक स्टेटमेंट में दिखाई गयी बकाया राशि से ज्यादा का भुगतान करते हैं, तो उस अतिरिक्त राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट लिमिट अधिक हो जाए, तो ग्राहक से पूछा जाएगा कि वे इसे बकाया राशि में जोड़ना चाहते हैं या अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं। अगर ग्राहक अपनी पसंद नहीं बताते हैं, तो अतिरिक्त राशि अपने आप वापस कर दी जाएगी।
10. आपके क्रेडिट कार्ड पर दी गयी अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाती है कि आप विदेश में खरीदारी (ऑनलाइन सहित) या **ATM** इस्तेमाल की अधिकतम सीमा इस्तेमाल कर सकते हैं।

कार्ड का इस्तेमाल

20. कार्ड मिलने के बाद, आपको तुरंत कार्ड के पीछे छपे सिग्नेचर पैनल पर साइन करना चाहिए।
21. कार्ड का उपयोग केवल वास्तविक व्यक्तिगत जरूरतों या सामान और/या सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। आप कार्ड का उपयोग किसी भी चीज को खरीदकर उसे व्यापारिक या व्यावसायिक उद्देश्य से बेचने के लिए या किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं कर सकते।
22. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित सामान खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या वर्जित पत्रिकाएं, स्वीपस्टेक्स में भाग लेना, कॉल-बैक सेवाओं का भुगतान, और ऐसी सामान/गतिविधियां जिनके लिए विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति नहीं है।
23. लेन-देन करते समय आपको चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप या मेल ऑर्डर कूपन पर साइन करना और/या उसे लेना जरूरी है। अगर आप चार्ज स्लिप पर साइन नहीं करते हैं, तो भी इस लेन-देन की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आपको छह महीनों तक चार्ज स्लिप्स की कॉपी संभालकर रखनी चाहिए। आपके अनुरोध पर, बैंक अपने विवेकाधिकार से, चार्ज स्लिप्स की कॉपी प्रदान कर सकता है और इसके लिए वर्तमान दर के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
24. बैंक किसी भी समय, पूर्व सूचना दिए बिना या बिना कोई कारण बताए, किसी मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट पर लेन-देन की अनुमति देने से इंकार कर सकता है और/या कार्ड का उपयोग सीमित कर सकता है या रोक सकता है, और/या कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। बैंक **ATM**, मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट के द्वारा या स्वयं ही कार्ड को जब्त कर सकता है, यदि बैंक को लगता है कि क्रेडिट या व्यापारिक जोखिम को सही ढंग से संभालने के लिए यह जरूरी है, या कार्ड/कार्ड खाते का दुरुपयोग हो रहा है या हो सकता है। आप ऊपर दी गयी बातों से सहमत हैं।
25. कार्ड खाते से जुड़े किसी भी लेन-देन के लिए बैंक को प्राप्त चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान अनुरोध इस बात का पक्का प्रमाण माना जाएगा कि उस पर दर्ज राशि आपके द्वारा कार्ड का उपयोग करके खर्च की गई है। अगर मेल ऑर्डर या फोन ऑर्डर या ऑनलाइन खरीदारी में चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं है, और आप उस लेन-देन पर विवाद करते हैं, तो पहले आपको कार्ड का बकाया चुकाना होगा और फिर संबंधित मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट से सीधे मामला सुलझाना होगा। इसके लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
26. कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर बैंक द्वारा समय-समय पर बताया गया अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है और इसकी राशि समय-समय पर बदल सकती है।
27. मासिक स्टेटमेंट में दिखाए गए खर्च को आपके द्वारा किया गया खर्च माना जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट में दिखाए गए किसी खर्च से सहमत नहीं हैं, तो आपको स्टेटमेंट की तारीख से **60 (साठ)** दिनों के अंदर बैंक को लिखित में बताना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो वह खर्च सही माना जाएगा और आपको उसका भुगतान करना होगा।
28. यदि कोई मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट कार्ड स्वीकार करने से मना करता है या कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) लगाता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, कार्ड धारक को इस संबंध में अपनी शिकायत बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित पते पर या निर्धारित ग्राहक सेवा केंद्र पर दर्ज करानी चाहिए।

29. बैंक किसी भी प्रकार से उन वस्तुओं, उनकी कीमत, दर, गुणवत्ता, वारंटी, विशेषाधिकार, लाभ, सुविधाओं तथा सेवाओं में किसी भी कमी/देरी, डिलीवरी या गैर-डिलीवरी आदि के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, जिन्हें आपने किसी मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट और/या थर्ड पार्टी के सप्लायर्स से खरीदा या प्राप्त किया हो, जिसमें आपके द्वारा मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (जैसे इंटरनेट) के माध्यम से किए गए ऑर्डर भी शामिल हैं। इससे संबंधित किसी भी विवाद को सीधे आपके द्वारा मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट/थर्ड पार्टी के सप्लायर्स के साथ सुलझाया जाना चाहिए, और ऐसा न करने पर भी बैंक के प्रति आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी।
30. किसी मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध आपका कोई भी दावा बैंक के खिलाफ समायोजन या प्रतिदावा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
31. बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लिए, कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। कार्ड और इस कार्ड मेंबर एग्रीमेंट के समाप्त होने पर उससे जुड़े सभी विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
32. आपको खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं, जैसे हवाई या रेल टिकट आदि का भुगतान स्टेटमेंट में दी गयी राशि के अनुसार करना होगा, भले ही बाद में वह खरीद रद्द कर दी गई हो। ऐसा न करने पर ब्याज या अन्य शुल्क लग सकते हैं। कैंसिल करने के कारण मिलने वाले रिफंड की राशि (कैंसिलेशन शुल्क घटाकर) तभी आपके कार्ड खाते में जमा की जाएगी जब बैंक को वह राशि प्राप्त होगी। आपको केश रिफंड नहीं मिलेगा। यदि उचित समय के भीतर स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई नहीं देता है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
33. आप कानूनों, नियमों, विनियमों और इस कार्ड मेंबर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके कार्ड के उपयोग की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आप यह भी सहमति देते हैं कि आपके किसी कार्य, चूक/लापरवाही और भूल के कारण यदि बैंक को कोई हानि, नुकसान, ब्याज, कन्वर्जन, अन्य फाइनेंस शुल्क, खर्च या किसी प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो उनकी भरपाई आप करेंगे।
34. बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए गए किसी भी वैधानिक देय का भुगतान करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी।
35. आप सहमति देते हैं और बैंक को अधिकृत करते हैं कि आपके द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च को बैंक समय-समय पर निर्धारित विनियम दर के अनुसार भारतीय रुपये में परिवर्तित कर सकता है।
36. आप स्वीकार करते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदे गए सामान तब तक बैंक की संपत्ति रहेंगे, जब तक कि उसके शुल्क बैंक का भुगतान बैंक को पूरी तरह नहीं किया जाता।
37. बैंक के पास अधिकार है कि वह आंतरिक जोखिम निगरानी और धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली पर आधारित नियमों के अनुसार किसी भी लेन-देन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
38. स्कैपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड पर मेल ऑर्डर/टेलीफोन ऑर्डर (MOTO) लेनदेन की अनुमति है; तथापि, कार्डधारकों को ऐसे लेनदेन के लिए कार्ड विवरण प्रदान करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। कार्ड नेटवर्क (Visa/RuPay) संबंधित लेनदेन की जानकारी फेडरल बैंक के साथ साझा करेगा। कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सत्यापित और विश्वसनीय व्यापारियों के साथ ही लेनदेन करें, क्योंकि कार्ड विवरण के अनजाने में प्रकटीकरण से उत्पन्न किसी भी अनधिकृत या धोखाधड़ीपूर्ण MOTO लेनदेन के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

कैश एडवांस

4. आप इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक के **ATMs**, चयनित पार्टनर बैंकों के **ATMs** तथा बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य स्थानों/स्वीकृत संस्थानों से नकद निकालने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने पर डिमांड ड्राफ्ट जैसी अन्य नकद-समतुल्य सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कैश एडवांस और नकद-समतुल्य लेन-देन के लिए आपको लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें विदेशी मुद्रा कानून तथा उसके अंतर्गत **RBI** और अन्य सरकारी निकायों द्वारा जारी नियम शामिल हैं। कैश एडवांस के लिए बैंक द्वारा दिया गया **ATM** कोड/पिन आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं और इसे सुरक्षित रखने के लिए पूरी सावधानी बरतेंगे।
5. आप अपनी उपलब्ध कैश लिमिट के अनुसार, बैंक द्वारा समय-समय पर बताई गई सीमा तक कैश एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। यह कैश एडवांस संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा, जो ऐसे लेनदेन पर लागू होते हैं।

6. कैश एडवांस पर लगने वाले शुल्क, जैसे ट्रांज़ैक्शन चार्ज, हैंडलिंग चार्ज आदि, **MITC** में बताए गए शर्तों एवं नियमों के अनुसार होंगे। बैंक इन शुल्कों को अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है। साथ ही, ये शुल्क पैसे निकालने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू रहेंगे।

बिलिंग और निपटान

14. यदि आपके कार्ड खाते में किसी बिलिंग अवधि के दौरान **₹200** (दो सौ रुपये) से अधिक की कोई गतिविधि या बकाया राशि होगी, तो बैंक हर महीने आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का लिंक भेजेगा। भुगतान की अंतिम तिथि बिलिंग तिथि से अधिकतम **18** (अठारह) दिनों के भीतर होगी।
15. बैंक आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों को कार्ड खाते में डेबिट करेगा और आपके द्वारा किए गए सभी भुगतानों और मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट्स से प्राप्त क्रेडिट को आपके कार्ड खाते में क्रेडिट करेगा।
16. बैंक हर महीने कार्ड मेंबर द्वारा किए गए लेनदेन और/या भुगतान और/या प्राप्त क्रेडिट के आधार पर स्टेटमेंट जारी करेगा। प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए दी गयी इस मासिक स्टेटमेंट में वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीदारी, कैश एडवांस, फीस, **GST** और अन्य शुल्क के साथ ही आपके भुगतान और क्रेडिट की जानकारी दी जाएगी। इसमें कुल बकाया राशि और न्यूनतम देय राशि भी दिखाई जाएगी, जिसका आपको भुगतान करना है। आपको कम से कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान स्टेटमेंट में दी गई अंतिम तिथि तक बैंक को कर देना चाहिए। आपका खाता तभी क्रेडिट होगा जब बैंक को आपसे या आपके बैंक से क्लियर फंड्स का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई राशि समय पर जमा नहीं होती या आपकी क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च हो जाता है, तो वह राशि तुरंत देय होगी। कृपया ध्यान रखें, यदि आप हर महीने केवल न्यूनतम राशि ही भरते हैं, तो पूरा भुगतान करने में कई साल लग सकते हैं और बकाया राशि पर ब्याज भी लगातार लगता रहेगा।
17. आप मासिक स्टेटमेंट में दर्शाई गई न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं और शेष राशि को अगले बिलिंग साइकिल में आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक अपने विवेकाधिकार से न्यूनतम देय राशि निर्धारित करेगा।
18. यदि आप भुगतान की अंतिम तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड (अस्थायी या स्थायी रूप से) निलंबित/रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक अपने विवेकाधिकार से विलंब शुल्क या अन्य शुल्क भी लगा सकता है। बैंक अपने विवेकाधिकार से मर्चेन्ट इस्टैब्लिशमेंट्स को यह निर्देश भी दे सकता है कि वे आपके क्रेडिट कार्ड को स्वीकार न करें और/या आवश्यकता पड़ने पर कार्ड को जब्त कर लें। इसके लिए बैंक समय-समय पर चेतावनी सूची में कार्ड नंबर शामिल कर सकता है या अन्य उचित कदम उठा सकता है।
19. आप **E-NACH** के माध्यम से बैंक को यह अनुमति दे सकते हैं कि वह आपके बैंक या किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते से राशि सीधे डेबिट करके आपके कार्ड खाते में जमा कर दें। यदि आप **E-NACH** सुविधा लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको इसके लागू नियम एवं शर्तों की जानकारी अलग से देगा।
20. आउटस्टेशन चेक/ड्राफ्ट, यानी ऐसे शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट जो बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए निर्दिष्ट शहरों के अलावा हों, अनुरोध पर स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन इस पर प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। आउटस्टेशन चेक की प्रोसेसिंग फीस का विवरण प्रभारों की सूची में दिया गया है। ऐसे शहरों की सूची और प्रोसेसिंग शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बिना पूर्व सूचना के बदल सकता है।
21. यदि आपका कोई भुगतान साधन बाद में अस्वीकार हो जाता है, तो बैंक आपके कार्ड की सुविधाएं निलंबित/समाप्त कर सकता है। साथ ही, प्रभारों की सूची में बताए गए अनुसार यह शुल्क आपके कार्ड खाते में लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है। बैंक आवश्यक होने पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
22. आपके कार्ड खाते में प्राप्त सभी भुगतान को बैंक अपने इंटरनल अकाउंटिंग और क्रेडिट नियमों के अनुसार समायोजित कर सकता है। भले ही आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने भुगतान के उपयोग के बारे में कोई विशेष निर्देश दिए हों, बैंक उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
23. बैंक आपके अनुरोध से पहले के अधिकतम **12** महीनों तक के डुप्लीकेट मासिक स्टेटमेंट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए प्रभारों की सूची में बताए अनुसार सेवा शुल्क देना होगा, जिसे बैंक अपने विवेकाधिकार से बदल सकता है।
24. यदि आप अपने **NRO** खाते से भुगतान कर रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह भुगतान आपके **NRO** खाते में भारत में प्राप्त वैध आय से किया जा रहा है। यह राशि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य **NRO** खाते से ट्रांसफर करके

नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस पुष्टि का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आप यह भी पुष्टि करते हैं कि किसी एक वित्तीय वर्ष में **NRO** खाते से विदेश भेजी गई राशि, **NRO** से **NRE** खाते में ट्रांसफर की गई राशि, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, या किसी अन्य अनुरोध के तहत ट्रांसफर की गई कुल राशि **USD 1,000,000** (एक मिलियन अमेरिकी डॉलर) या उसके समकक्ष से कम है।

25. यदि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान के लिए **NRO** खाते से राशि डेबिट की गई है, तो आप यह पुष्टि करते हैं कि भारत में कर योग्य आय पर लागू कर, **CBDT** के नियमों के अनुसार चुका दिए गए हैं। आप यह भी पुष्टि करते हैं कि कार्डधारक और **NRO** खाते का धारक एक ही व्यक्ति है।
26. वर्तमान में **E-NACH**, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है। ग्राहक, बैंक द्वारा समय-समय पर **Scapia** ऐप में उपलब्ध कराए गए विकल्पों के माध्यम से ही भुगतान कर सकते हैं।

फाइनेंस शुल्क

8. फाइनेंस शुल्क सभी खर्चों पर, जिसमें कैश एडवांस भी शामिल हैं, लेनदेन की तारीख से लेकर पूरा भुगतान होने तक लागू होंगे।
9. कैश एडवांस और दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर पर ब्याज तुरंत लगना शुरू हो जाता है, कैश निकालने या बैंक चेक जारी होने की तारीख से खरीदारी पर फाइनेंस शुल्क अलग नियम से लागेगा। वहीं, खरीदारी पर फाइनेंस शुल्क तभी लागू होगा जब कुल बकाया राशि या उसका कोई हिस्सा भुगतान की अंतिम तिथि तक पूरा न भरा जाए और पिछले बिलिंग साइकिल से अगले बिलिंग साइकिल में आगे बढ़ाया जाए।
10. यदि आपको कोई फाइनेंस शुल्क देना है, तो बैंक उसे हर स्टेटमेंट की आखिरी तारीख को आपके कार्ड से ले लेगा और स्टेटमेंट में दिखाएगा।
11. आप सहमत हैं कि आपके कार्ड पर जो भी बकाया रहेगा, उस पर बैंक जो फाइनेंस शुल्क तय करेगा, वह आपको देना होगा और बैंक समय-समय पर इसे बदल भी सकता है।
12. कुछ सेवाओं, जैसे बैलेंस ट्रांसफर पर लगने वाला फाइनेंस शुल्क अलग हो सकता है, और बैंक समय-समय पर इसकी जानकारी देगा।
13. जैसा कि ऊपर बताया गया, कार्ड खाते की शर्तें खत्म हो जाने या आपका कार्ड बंद हो जाने पर भी आपके बकाया पर जो भी फाइनेंस शुल्क लागे हैं, उनका पूरा भुगतान आपको करना होगा।
14. बैंक अपने विवेकाधिकार से, आपको सूचित करते हुए, किसी भी समय अपनी सभी या कुछ सुविधाओं के लिए फाइनेंस शुल्क बदल सकता है।

विदेशों में लगने वाले शुल्क

कार्ड सदस्य यह स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि अगर वह अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेश में करता है, तो उसे इसका इस्तेमाल **RBI** द्वारा जारी किये गए संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों के अनुसार ही करना होगा। यह नियम समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। यदि कार्ड सदस्य **RBI** के विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों से ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, तो कार्ड मेंबर को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। कार्ड मेंबर इस बात से सहमत है कि अगर **RBI** के नियमों के अनुसार विदेश में किए गए खर्च के लिए उसके पासपोर्ट पर कुछ नोट करना आवश्यक हो, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्ड मेंबर की होगी। यदि कार्ड मेंबर **RBI** द्वारा जारी वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह समय-समय पर संशोधित **FEMA** के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा, और बैंक या **RBI** के निर्देश पर उसका कार्ड बंद भी किया जा सकता है। अगर आपने **RBI** के विदेशी मुद्रा नियमों की सीमा से ज्यादा खर्च किया और इसलिए कोई लेन-देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकृत हो गया, तो बैंक या **Scapia** इस नुकसान या पेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई लेन-देन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो वह लेन-देन भारतीय रुपये में बदल दिया जाएगा। मुद्रा बदलने की प्रक्रिया उस दिन की जाएगी जब लेन-देन बैंक के साथ निपटाया जाएगा, पर यह जरूरी नहीं कि यह निपटान उसी दिन हो जब लेन-देन किया गया था। अगर लेन-देन अमेरिकी डॉलर में नहीं किया गया है, तो बैंक पहले उसे डॉलर में बदलेगा और फिर डॉलर को रुपये में बदलेगा।

देर से भुगतान करने की फीस

यदि आप मासिक स्टेटमेंट में दिखाई गयी न्यूनतम देय राशि का भुगतान अंतिम तिथि तक नहीं करते हैं, तो प्रभारों की सूची में बताए गए अनुसार आपके कार्ड खाते में विलंब शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और बैंक समय-समय पर आपको इसकी जानकारी देगा।

अन्य फीस/शुल्क

आप सहमत हैं कि आप बैंक द्वारा लगाए/वसूले गए सभी खर्चों का भुगतान करेंगे, जिनमें कार्ड रिन्यू करने का शुल्क, कार्ड बदलने का शुल्क, डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क, कैश एडवांस पर लेन-देन शुल्क, आउटस्टेशन कलेक्शन शुल्क, कानूनी खर्च, और अन्य कोई भी फीस/शुल्क शामिल हैं।

GST

आप सहमत हैं कि निर्धारित शुल्कों, फाइनेंस शुल्कों, अन्य फीस/शुल्कों आदि पर पर सरकार के नियमों के अनुसार **GST** लगेगा, और आपको इसे समय-समय पर चुकाना होगा।

व्यक्तिगत पहचान संख्या

कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कार्ड मेंबर को एप्लीकेशन पर एक पिन बनाना होगा। बाद में, कार्ड मेंबर, बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमति दिए गए चैनलों के माध्यम से अपने जोखिम पर पिन बदल सकता है। इस पिन से आप कार्ड खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने, इसे गोपनीय और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी कार्ड मेंबर की है। इसके ज़रिए किए गए सभी ऑर्डर और जानकारी में बदलावों के लिए भी कार्ड मेंबर ही जिम्मेदार होगा। कार्ड मेंबर किसी भी रूप में पिन को लिखेगा नहीं क्योंकि इससे पिन की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को पता लग सकती है। कार्ड मेंबर बैंक को यह अधिकार देता है कि वह आपके पिन से प्रमाणित किए गए लेन-देन और निर्देशों को पूरा करे, और आप इस अधिकार को वापस नहीं ले सकते। बैंक सिर्फ आपके पिन के ज़रिए जांच करेगा कि लेन-देन सच में आपके द्वारा किया गया है। यह बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह कार्ड मेंबर द्वारा भेजे गए या भेजे जाने का दावा किए गए लेन-देन निर्देश की प्रामाणिकता की जांच करे। कार्ड मेंबर को हर समय पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने होंगे, जिनमें यहां बताए गए कदम भी शामिल हैं। यदि कार्ड मेंबर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो इससे होने वाले सभी नुकसान, हानि की जिम्मेदारी केवल कार्ड मेंबर की होगी। बैंक अपने विवेकाधिकार से, यहां बताए गए प्रावधानों और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा कार्ड पर नया पिन जारी कर सकता है। कार्ड मेंबर बैंक या **Scapia** को कार्ड और/या पिन सहित किसी भी अनुचित/धोखाधड़ीपूर्ण/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। बैंक और **Scapia** किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े परिणामों के लिए भी जिम्मेदार नहीं होंगे, चाहे कार्ड किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग गया हो या पिन किसी थर्ड पार्टी को पता चल गया हो। यदि कोई थर्ड पार्टी आपके कार्ड या खाते का इस्तेमाल कर लेता है, तो इसके लिए कार्ड मेंबर जिम्मेदार होगा तथा बैंक और **Scapia** को इस वजह से होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च से बचाएगा।

सूचना

आप सहमत हैं कि बैंक समय-समय पर **SMS** और/या ईमेल या किसी अन्य संचार माध्यम से आपके कार्ड खाते की स्थिति के बारे में आपको सूचित करता रहेगा और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा, तथा आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

ग्राहक सहायता सेवाएं

8. बैंक आपको टेलीफोन के माध्यम से निर्देश देकर आपको कार्ड खाते की जानकारी, लेन-देन करने की सुविधा तथा संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। बैंक इन निर्देशों को मैन्युअल रूप से या ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से स्वीकार कर सकता है। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार से यह तय कर सकता है कि टेलीफोन के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी/लेन-देन की अनुमति दी जाएगी। बैंक के पास आपके अनुरोध को प्रोसेस करने से पहले आपकी पहचान की पुष्टि करने का अधिकार है। इस सुविधा के उपयोग के लिए आपको एक विशेष टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (TPIN) भी प्रदान किया जा सकता है।
9. आप सहमत हैं कि ऐसे निर्देशों पर बैंक द्वारा सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए आप बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।
10. बैंक अपने विवेकाधिकार से ऐसे निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उन टेलीफोनिक निर्देशों की प्रतिलिपि पर भरोसा कर सकता है।
11. ऐसे निर्देशों का पालन करते समय बैंक अपने सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कार्य करेगा और आपके किसी भी निर्देश पर तुरंत या बिल्कुल भी कार्रवाई न कर पाने या उसमें हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. यदि बैंक को लगे कि यह निर्देश सही नहीं हैं, तो बैंक ऐसे निर्देशों का पालन न करने से मना कर सकता है और इस सुविधा को वापस लेने या रोकने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
13. यदि बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन के विवरण में कोई गलती या अंतर हो, तो बैंक से सूचना मिलने के दस दिनों के अंदर आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।
14. बैंक आपको यह सुविधा देता है और आप सहमत हैं कि इस सुविधा के उपयोग से बैंक को यदि कोई कार्रवाई, दावा, मांग, कानूनी कार्यवाही, नुकसान, हानि, शुल्क और अन्य खर्चे उठाने पड़े, तो उसके लिए आप भरपाई करेंगे और बैंक को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से सुरक्षित रखेंगे।

अस्वीकृत भुगतान

यदि कार्ड मेंबर द्वारा अपने कार्ड बकाया के भुगतान के लिए दिया गया चेक या कोई अन्य भुगतान साधन या निर्देश स्वीकार नहीं होता, या प्रोसेस न हो पाने के कारण वापस कर दिया जाता है, तो बैंक के पास कार्ड मेंबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके लिए बैंक अपने विवेकाधिकार से शुल्क लगा सकता है और/या कार्ड को अस्थायी/स्थायी रूप से कैसिल कर सकता है। कार्ड मेंबर को चेक रिटर्न शुल्क और विलंब भुगतान शुल्क या बैंक द्वारा तय किए गए अन्य किसी भी शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

खोए या चोरी हुए कार्ड

8. यदि कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, प्राप्त नहीं हुआ है या आपकी अनुमति के बिना उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको इसके बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। कार्ड खोने/चोरी होने आदि के मामले में, आपको तुरंत पुलिस में शिकायत /फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के बाद उसकी प्रति के साथ आपको तुरंत लिखित रूप में बैंक को सूचना देनी होगी।
9. लिखित सूचना देने से पहले, आप कार्ड के खोने/चोरी होने की जानकारी बैंक को फोन पर भी दे सकते हैं। उचित जांच के बाद बैंक अस्थायी रूप से आपके कार्ड खाते को बंद कर देगा, लेकिन इससे आपको या आपके खाते को हुई किसी भी असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
10. बैंक को जानकारी/सूचना देने से पहले आपके क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग की जिम्मेदारी आपकी होगी। बैंक को सूचना प्राप्त होने के बाद ही आपकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी।
11. कार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। कार्ड के किसी भी गलत उपयोग के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को लगता है कि आपने कार्ड की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए, तो खोए या चोरी हुए कार्ड से हुए नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपका कार्ड खाता कैसिल भी किया जा सकता है।
12. किसी भी विवादित लेन-देन की जांच के दौरान आपको बैंक, उसके प्रतिनिधि और/या कानूनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा।
13. यदि बाद में आपको आपका कार्ड मिल जाता है, तो उस कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर तुरंत बैंक को वापस करना चाहिए।

14. बैंक को कार्ड खोने/चोरी/खराब होने की सूचना देने के बाद हुए किसी भी लेन-देन के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। हालांकि, यदि सूचना देने के समय या सूचना के बाद हुए लेन-देन को लेकर कोई विवाद होता है, तो बैंक को उस समय की पुष्टि करने और विवादित लेन-देन की सत्यता जांचने का अधिकार होगा। ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग आप किसी भी लेन-देन के लिए तब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको नया (रिप्लेसमेंट) कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता।

वसूली

बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बकाया राशि वसूलने और/या उसके द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए कार्ड मेंबर के जोखिम और खर्च पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करे। बैंक (इन उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्तियों को कार्ड मेंबर और उसकी सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी, तथ्य और विवरण प्रदान कर सकता है, जैसा बैंक उचित समझे। बैंक ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को इससे संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, दस्तावेज और आवश्यक काम करने का अधिकार भी दे सकता है, जैसा बैंक उचित समझे।

वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी

कार्ड मेंबर द्वारा किसी भी मर्चेट से खरीदे गए सामान, उसकी वारंटी या ली गई सेवाओं, डिलीवरी में देरी, सामान न मिलना, सामान प्राप्त न होना या खराब सामान मिलने की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड केवल कार्ड मेंबर को सामान खरीदने और/या सेवाएं लेने की एक सुविधा है, सामान की गुणवत्ता, डिलीवरी या किसी अन्य चीज के लिए बैंक कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देता। सामान से संबंधित किसी भी विवाद या दावे का समाधान कार्ड मेंबर को सीधे मर्चेट इस्टैब्लिशमेंट के साथ करना होगा। कोई विवाद या दावा होने पर भी कार्ड मेंबर को बैंक को सभी शुल्क का भुगतान करना होगा और कार्ड धारक सहमत है कि वह सभी शुल्कों का भुगतान समय पर करेगा।

थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति

5. बैंक अपने विवेकाधिकार से फोन या किसी अन्य माध्यम से सेवा देने के लिए थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है। बैंक कार्ड मेंबर द्वारा दी गयी जानकारी की जांच, क्रेडिट ब्यूरो से सत्यापन, क्रेडिट जांच, कार्ड की बकाया राशि की वसूली या कानून के अनुसार बकाया वसूलने, लेकिन इन तक सीमित नहीं, के लिए अन्य कार्रवाई करने हेतु भी थर्ड पार्टी को नियुक्त कर सकता है। ऐसे थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं को वसूली के लिए किया गया भुगतान आपके खर्च और जोखिम पर होगा। साथ ही, बकाया राशि की वसूली में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्च, शुल्क और लागत का भुगतान भी आपको ही करना होगा।
6. यदि बकाया राशि की वसूली के लिए मामला किसी एजेंट को देना पड़े या भुगतान की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, तो उससे जुड़े सभी खर्च, कानूनी खर्च और उन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान आपको करना होगा।
7. आप स्पष्ट रूप से मानते / सहमति देते हैं कि बैंक आपके द्वारा दिए गए डेटा / दस्तावेज थर्ड पार्टी/ सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकता है। यह डेटा/दस्तावेज केवल निर्धारित और सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाएंगे और कार्ड खाता बंद होने के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा।

संस्था का नाम	भूमिका	विवरण
Lentra AI Pvt. Ltd.	पात्रता निर्धारण प्रणाली	आपके क्रेडिट कार्ड की पात्रता की जांच के लिए आपकी PII जानकारी Lentra के साथ साझा की जाएगी।
Karza Technologies Pvt. Ltd.	V-KYC वेंडर	आपका PII डेटा KYC मानकों का पालन करने के लिए साझा किया जाएगा।
The Unique Identification Authority of India	E-KYC	
Scapia Technology Private Limited	रिवॉर्ड पॉइंट मैनेजमेंट	आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए आपका PII डेटा Scapia के साथ साझा किया जाएगा।
M2P Solutions Pvt. Ltd.	ACS (एक्सेस कंट्रोल सर्वर) and CMS (कार्ड मैनेजमेंट सर्विसेज)	सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा M2P के साथ साझा किया जाएगा।

CleverTap Private Limited	कम्युनिकेशन वेंडर	आपको संदेश भेजने के लिए आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा Mettle के साथ साझा किया जाएगा।
Sinch cloud communication services India Pvt. Ltd.		आपको संदेश भेजने के लिए आपका PII डेटा Sinch के साथ साझा किया जाएगा।
MCT Cards & Technology Pvt. Ltd.	प्रिंटिंग पार्टनर	आपको फिजिकल वेलकम किट भेजने के लिए आपका PII डेटा MCT के साथ साझा किया जाएगा।
Delhivery Pvt. Ltd.	लॉजिस्टिक्स	आपका PII डेटा Delhivery (कूरियर पार्टनर) के साथ साझा किया जाएगा जो आपके पते पर फिजिकल वेलकम किट भेजेगा।
Blue Dart Express Limited		
Department of India Post		
Razorpay Software Pvt. Ltd.	पेमेंट गेटवे	आपका PII और ट्रांज़ैक्शन डेटा Worldline के साथ साझा किया जाएगा ताकि आप अपने कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर सकें।
Pine Labs Pvt. Ltd.	बैंक के EMI मर्चेन्ट	लागू नहीं है
PayU Payments Pvt. Ltd.		
Concentrix Technologies (India) Pvt. Ltd.	ग्राहक सहायता संबंधी गतिविधियां	ग्राहक सहायता/पूछताछ प्रदान करने के लिए आपका PII डेटा Concentrix के साथ साझा किया जाएगा।
Globiva Services Private Limited		
Experian Credit Information Company Of India Pvt. Ltd.	क्रेडिट ब्यूरो	क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी पात्रता की जांच करने के लिए आपका PII डेटा साझा किया जाएगा।
Credit Information Bureau (India) Limited		बैंक की वसूली गतिविधियों में सहायता के लिए आपका PII डेटा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।
Collection and Recovery Agency		बैंक के साथ जुड़ी एजेंसियों की सूची: https://www.federalbank.co.in/documents/10180/59628/List+of+collection+agents+%26+recovery+agents-Jan+2023.pdf/85b86b66-8a75-421e-91a9-b1954cf0e57f?t=1675755327502

4. क्रेडिट कार्ड को फिर से जारी करना और बदलना

यदि आपका कार्ड खराब/टूट गया है, फट गया है, गुम या चोरी हो गया है, तो आप एप्लीकेशन के नदीम से या ग्राहक सहायता से बात करके कार्ड बदलने की मांग कर सकते हैं। ऐसे सभी नए कार्ड बैंक के विवेकाधिकार से और उस समय लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद जारी किए जाएंगे। खराब कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर तुरंत बैंक को वापस करना चाहिए।

पता और टेलीफोन नंबर बदलना

अगर आपका पता या मोबाइल नंबर बदल गए हैं तो आपको तुरंत बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। **Scapia** ऐप या बैंक द्वारा चुने गए विभिन्न साधनों के माध्यम से पता और मोबाइल नंबर बदलने के विकल्प आपको दिए जाएंगे।

बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार समय-समय पर तय आवश्यकताओं के आधार पर आपके अनुरोध की समीक्षा करने और उसे स्वीकार करने का अधिकार रखता है।

उल्लंघन और समाप्ति/वापसी

14. **कार्ड मेंबर के द्वारा:** आप कभी भी अपने सभी कार्ड वापस करके कार्ड की इन सामान्य शर्तों को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने खाते पर जारी सभी कार्ड को बीच से काटकर तथा कार्ड से जुड़े सभी सुविधाओं और लाभों को समाप्त करने का लिखित अनुरोध देना होगा। कार्ड तभी बंद होगा जब हमें अतिरिक्त कार्ड सहित आपके सभी कार्ड प्राप्त हो जाएंगे और कार्ड खाते से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। आप बैंक को लिखित रूप में सूचित करके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग बंद कर सकते हैं लेकिन अतिरिक्त कार्ड के उपयोग से हुए सभी शुल्कों की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। कोई वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आंशिक रूप में वापस नहीं किया जाएगा। आप कार्ड बंद करने का अनुरोध ऐप से या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं।
15. **बैंक के द्वारा:** बैंक किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से, बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए कार्ड की इन सामान्य शर्तों को तुरंत समाप्त कर सकता है और कार्ड के उपयोग को सीमित कर सकता है। यदि बैंक इन शर्तों को समाप्त करता है, तो कार्ड खाते पर सभी बकाया राशि (जिसमें अभी तक डेबिट न हुए शुल्क या केश एडवांस शामिल हैं) तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगी। बैंक कैंसिल किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी मर्चेन्ट को भी दे सकता है। यदि क्रेडिट कार्ड कैंसिल किया गया है, तो आपको इसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से काटकर दोनों हिस्से तुरंत बैंक को लौटाने होंगे। कोई वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आंशिक रूप में वापस नहीं किये जाएंगे।
16. यदि आप अपनी नौकरी/पेशा या पता बदलते हैं या आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे स्थान पर होती है, या अपना सैलरी अकाउंट/मुख्य बैंक अकाउंट बदलते हैं, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा बंद करने का अधिकार रखता है।
17. **उल्लंघन:** यदि कोई कार्ड मेंबर कार्ड की इन सामान्य शर्तों का उल्लंघन करता है; (i) इन शर्तों के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कार्डधारक उस उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा; और (ii) कार्ड मेंबर बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, बैंक को अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह राशि उस समय देय हो या नहीं।
18. **समाप्ति / वापसी:** कार्ड मेंबर कार्ड खाता बंद करने का अनुरोध **Scapia** के ऐप के माध्यम से या ग्राहक सहायता को लिखित ईमेल भेजकर कर सकता है।
19. उपर्युक्त सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि कार्ड को खराब न किया जाए। इसके लिए कार्ड के ऊपरी दाएं कोने को काटकर होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्राइप दोनों को काटा जाना चाहिए और कार्ड बैंक को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा किए बिना, न तो कार्ड खाता और न ही कोई कार्ड बंद नहीं किया जा सकता है।
20. यदि कार्ड मेंबर यह दावा करता है कि उसने कार्ड नष्ट कर दिया है, लेकिन कार्ड बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है, तो कार्ड पर हुए सभी शुल्कों के लिए कार्ड मेंबर पूरी तरह जिम्मेदार होगा, चाहे ये शुल्क गलत उपयोग के कारण हुए हों या नहीं, और चाहे बैंक को कार्ड नष्ट होने की सूचना दी गई हो या नहीं।
21. बैंक किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार और परिस्थितियों के अनुसार, नोटिस दिए बिना भी कार्ड खाते और कार्ड को बंद कर सकता है। कार्डधारक स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि उसके बैंक में कार्ड की सामान्य शर्तों के तहत दो या अधिक कार्ड खाते हैं और किसी एक खाते में भुगतान में देरी होती है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह सभी अन्य कार्ड खातों की क्रेडिट लिमिट को ब्लॉक कर दे और उन सभी खातों में दी जाने वाली सुविधाएं/लाभ भी रोक सके, जब तक कि डिफॉल्ट वाला कार्ड खाता मेंबर द्वारा नियमित न कर दिया जाए। कार्ड मेंबर यह भी स्वीकार करता और मानता है कि ऊपर बताई गयी कार्रवाई के लिए बैंक कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देगा।

22. कार्ड खाता समाप्त होने पर, तथा बैंक और कार्ड मेंबर के बीच किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद (क) उस समय तक बकाया सभी शुल्क, चाहे वे स्टेटमेंट में दिखाए गए हों या न हों, और (B) कार्ड मेंबर को समाप्ति के बाद किए गए किसी भी वॉलन्टरी शुल्क की राशि (संबंधित लेन-देन निर्देश की तिथि से लागू) का भुगतान तुरंत करना होगा, जैसे कि वे स्टेटमेंट में दिखाए गए हों। इन शुल्कों पर उस दिन से ब्याज भी लागेगा जब ये शुल्क उत्पन्न हुए, और यह समय-समय पर लागू दरों के अनुसार होगा।
23. बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, कार्ड पर दी जाने वाली सुविधाओं को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने और/या कार्ड को कैंसिल करने का अधिकार रखता है। यदि कार्ड की सुविधाएं अस्थायी रूप से रोकी जाती हैं, तो बैंक अपने विवेकानुसार उन्हें फिर से चालू कर सकता है। यदि सुविधाएं स्थायी रूप से रोकी जाती हैं, तो बैंक कार्ड मेंबर को स्थायी रूप से सदस्यता देने से मना कर सकता है। हालांकि, स्पष्ट रूप से सुविधाओं का रोकना (अस्थायी या स्थायी) कार्ड से जुड़े सभी लाभ, सुविधाएं और सेवाएं स्वतः समाप्त कर देता है। ऐसे अस्थायी या स्थायी विदड्रॉल के मामले में, कार्ड मेंबर उस कार्ड पर विदड्रॉल से पहले हुए सभी खर्चों के साथ ही उस पर लागू सभी अन्य शुल्कों के लिए भी उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। कार्ड को कभी भी वापस लिया जा सकता है और कार्ड खाता किसी भी समय बंद किया जा सकता है, चाहे कार्ड पर मुद्रित वैधता अवधि समाप्त हुई हो या नहीं। कार्ड मेंबर सहमत है कि वह बैंक या उसके प्रतिनिधि के अनुरोध पर कार्ड को सौंप देगा। कार्ड के अधिकार खत्म होने का नोटिस मिलने के बाद भी कार्ड का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी माना जाएगा और इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
24. नीचे दी गयी किसी एक या अधिक घटनाओं के होने पर डिफॉल्ट माना जाएगा, और बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा को बंद कर सकता है। डिफॉल्ट की घटनाएं निम्नलिखित हैं:
- 24.1. आप लगातार निर्धारित समय के भीतर बैंक को पैसे नहीं देते हैं।
- 24.2. आप इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं।
- 24.3. अगर आपने कोई भी चेक और/या ECS/स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया है, बैंक किसी भी वजह से उस पर नकद नहीं देता/ प्रोसेस नहीं करता।
- 24.4. यदि आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत, झूठी या अधूरी साबित होती है, जैसे कि बैंक को भेजी गई आपकी आय और/या पहचान से संबंधित कागज/दस्तावेज का गलत, अधूरा/धोखाधड़ी से संबंधित हो।
25. आप विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि आपका कार्ड खाता कैंसिल/बंद होने पर क्रेडिट कार्ड के सभी अधिकार (जैसे रिवॉर्ड, लाभ और सेवाएं) वापस ले लिए जाते हैं, और इन्हें अपने आप फिर से चालू नहीं किया जाएगा। इन्हें फिर से सक्रिय करना पूरी तरह बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा।
26. कार्ड कैंसिल होने पर, आप:
- 26.1. कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे। आपको कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्रिप के बीच से दो टुकड़ों में काटकर बैंक को वापस करना होगा।
- 26.2. जब तक कटा हुआ कार्ड बैंक को वापस नहीं मिलता, तब तक उसके किसी भी उपयोग के लिए आप जिम्मेदार होंगे और सभी शुल्कों का भुगतान आपको करना होगा।
- 26.3. आपको कार्ड इन सामान्य शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान करते रहना होगा।

किसी बिलिंग साइकिल के लिए अगर कोई ब्याज/फाइनेंस शुल्क लागू हो, तो उसे अगले बिलिंग साइकिल पर लगाया/देय किया जाएगा और कार्ड मेंबर को कार्ड मेंबरशिप की समाप्ति/निरस्त होने के बावजूद उसका भुगतान करना होगा।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए गए विफल लेन-देन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान बनाने और ग्राहक मुआवजा से संबंधित प्रावधान

सितंबर 2020 में, RBI ने सभी अधिकृत पेमेंट सिस्टम के लिए ग्राहक की शिकायतों को तय समय में निपटाने (TAT) और मुआवजे से जुड़े नियम लागू किए थे। बैंक ने ऊपर बताए गए नियमों को लागू कर दिया है। अगर कोई लेन-देन असफल होता है और मुआवजा बनता है, तो वह पैसा अपने आप ग्राहक के खाते में डाल दिया जाएगा।

भुगतान का वैध सिस्टम इस्तेमाल करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवज़े का विवरण नीचे दिया गया है

असफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवज़े में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैध भुगतान के सिस्टम का उपयोग करना			
क्रम सं.	घटना का विवरण	ऑटो-रिवर्सल और मुआवज़े के लिए फ्रेमवर्क	
		ऑटो-रिवर्सल की टाइमलाइन	देय मुआवज़ा
I	II	III	IV
1	माइक्रो-ATMs सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (ATMs)		
क	ग्राहक के खाते से डेबिट हो गया लेकिन कैश नहीं निकला।	लेन-देन की तिथि से अधिकतम पांच दिनों के अंदर असफल लेन-देन की राशि स्वतः वापस कर दी जाएगी।	लेन-देन की तिथि से पांच दिनों से अधिक की देरी पर रु100/- प्रति दिन खाता धारक के खाते में जमा किए जाएंगे।
2	कार्ड से लेनदेन		
क	एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पैसे भेजना कार्ड खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी के कार्ड खाते में जमा नहीं किया गया।	अगर लाभार्थी के खाते में राशि जमा नहीं होती है, तो लेन-देन की तिथि से 1 दिन के भीतर पैसे वापस आ जाने चाहिए।	लेन-देन की तिथि से 1 दिन से अधिक की देरी पर रु100/- प्रतिदिन
ख	पॉइंट ऑफ सेल (PoS) (कार्ड प्रेज़ेंट) जिसमें PoS पर कैश भी शामिल है खाते से पैसे कट गए लेकिन मर्चेट लोकेशन पर पुष्टि नहीं मिली, अर्थात चार्ज-स्लिप जनरेट नहीं हुई।	लेन-देन की तिथि से 5 दिनों के अंदर ऑटो-रिवर्सल।	लेन-देन की तिथि से 5 दिन से अधिक की देरी पर रु100/- प्रतिदिन

ग	कार्ड मौजूद नहीं (CNP) (ई-कॉमर्स) खाते से पैसे कट गए लेकिन मर्चेन्ट के सिस्टम पर पुष्टि नहीं मिली।		
3	कार्ड बंद करने का अनुरोध		
	कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध	अनुरोध पर लेन-देन की तिथि से 7 कार्य-दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी	लेन-देन की तिथि से 7 दिन से अधिक देरी पर रु500/- प्रति कार्य-दिवस

जिम्मेदारी से छूट

उपरोक्त बातों को प्रभावित किए बिना, बैंक और **Scapia** किसी भी ऐसे नुकसान या हानि के लिए आपके प्रति किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न हो:

11. किसी भी वस्तु या सेवा में गलती या दोष;
12. किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्ड को स्वीकार नहीं करना;
13. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की खराबी;
14. ऐसे लेन-देन निर्देश जो आपने स्वयं नहीं दिए हों;
15. कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके संबंध में किया गया कोई भी कार्य;
16. आपके द्वारा किसी को कार्ड देना;
17. कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले बैंक की ओर से किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा कार्ड की वापसी की मांग और उसे प्राप्त करने का बैंक का अधिकार;
18. किसी भी कार्ड या कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का बैंक द्वारा प्रयोग; या
19. कार्ड की जब्ती और/या इसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी सेवा/मेल ऑर्डर प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार न करने या मान्यता न देने के कारण आपके क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा को होने वाली कोई भी हानि
20. बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी में हुई कोई भी गलत घोषणा, गलत बयान, त्रुटि या चूका यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बकाया राशि के निपटान के लिए आपसे कोई मांग या दावा किया जाता है, तो आप सहमत और स्वीकार करते हैं कि ऐसी मांग या दावा किसी भी प्रकार से मानहानि का कार्य या आपके चरित्र के लिए हानिकारक या उस पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कार्य नहीं माना जाएगा।

डिफॉल्ट

6. आप स्वीकार करते हैं कि यदि कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत आपकी किसी भी दायित्व की पूर्ति में कोई डिफॉल्ट होता है, तो बैंक और **Scapia** को उक्त शर्तों के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
7. आप यह स्वीकार करते हैं कि यदि बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा में डिफॉल्ट होता है, तो बैंक और/या **Scapia** को कार्ड सुविधा समाप्त करने और का अधिकार होगा, और यदि कार्ड सुविधा में डिफॉल्ट होता है तो बैंक को अन्य क्रेडिट सुविधाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. आप स्वीकार करते हैं कि कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत यदि बिलों का भुगतान **30** दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो बैंक को लेन-देन को ब्लॉक करने का अधिकार होगा।
9. निम्न-स्तरीय/संदिग्ध/हानि **NPA** में वर्गीकरण, बैंक के साथ कुल एक्सपोजर और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु आधारित नियमों के आधार पर सुरक्षा का संयुक्त आवंटन करके किया जाएगा।
10. यदि किसी देय राशि का भुगतान **90 (नब्बे)** दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो उसे गैर-निष्पादित संपत्ति (**NPA**) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि **RBI** के मास्टर सर्कुलर 'आय की मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से जुड़े नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

सूचनाएं

कार्ड की इन सामान्य शर्तों के अंतर्गत या इनके संबंध में कार्ड सदस्य से सभी बकाया राशि सहित सभी सूचनाएं या अन्य संचार, लिखित रूप में दिये जाएंगे और उन्हें निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा: फेडरल बैंक लिमिटेड पैरकल टावर्स, परूर जंक्शन, थोत्तकडुकारा, अलुवा, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, केरल, **683 102**, भारत और, यदि निर्दिष्ट न किया गया हो, तो ये सूचनाएं पत्र के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ऐसी कोई भी सूचना या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा: (i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो या डाक द्वारा भेजा गया हो और पत्र की वापसी प्रेषक के नियंत्रण से बाहर हो; और (ii) यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो, तो जब भेज दिया जाए (सही फैक्स नंबर पर पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद)। हालांकि, बैंक को भेजी गई कोई भी सूचना या संचार तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह वास्तव में बैंक द्वारा प्राप्त और स्वीकार न की गई हो। सूचनाएं या संचार निम्नलिखित माध्यमों से किए जा सकते हैं: (i) कार्ड मेंबर के पते या फैक्स नंबर पर, जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड में

दर्ज है और जिस पर सूचनाएं /संचार भेजे जाने हैं (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया गया हो), और (ii) बैंक का क्षेत्रीय / प्रादेशिक / शाखा / कार्यालय पता या फैक्स नंबर (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है), या कोई अन्य पता या फैक्स नंबर जिसे कार्ड मेंबर और बैंक एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करके निर्धारित कर सकते हैं। यदि कार्ड मेंबर बैंक को अपने संपर्क पते या अन्य विवरणों में किसी भी परिवर्तन की लिखित सूचना देने में असफल रहता है, तो आवेदन पत्र में निर्दिष्ट या कार्ड मेंबर द्वारा अंतिम बार दिए गए पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस/पत्राचार कार्ड मेंबर को दी गयी उचित और पर्याप्त सेवा मानी जाएगी, भले ही वह नोटिस बैंक को 'अप्राप्त' लौटाया जाए। कार्ड मेंबर के घर या कार्यस्थल में उपलब्ध किसी भी समाचार पत्र में दी गई सूचना, प्रकाशित होने की तिथि से कार्ड मेंबर के लिए पर्याप्त सूचना मानी जाएगी; हालांकि, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना बैंक के विरुद्ध तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बैंक द्वारा उसे स्वीकार या प्रमाणित नहीं किया जाए।

Mastercard Worldwide/ Visa International /Rupay द्वारा दी गयी सेवाएं

4. आपको **VISA International / MasterCard Worldwide / Rupay** द्वारा कुछ आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं **VISA/MasterCard/Rupay** द्वारा थर्ड पार्टी के एजेंट्स के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। **VISA International, MasterCard Worldwide** या **Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली आपातकालीन सेवाओं का उपयोग करने में होने वाले खर्च के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
5. **VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर दी जाती है।
6. भारत में या विश्व के किसी भी हिस्से में बैंक, **VISA International / MasterCard Worldwide / Rupay** द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था या उनके उपयोग के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता।

प्रकटीकरण

फेडरल बैंक, **RBI** द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ समझौता कर सकता है और आपके वर्तमान बकाया राशि, भुगतान की हिस्ट्री, डेमोग्राफिक विवरण आदि सहित आपकी क्रेडिट संबंधी जानकारी साझा कर सकता है। ऐसी जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। क्रेडिट ब्यूरो इस संबंध में कोई राय, संकेत या टिप्पणी प्रदान नहीं करते कि क्रेडिट सुविधा दी जानी चाहिए या नहीं। यह आपके हित में है कि आप आवश्यक देय का समय पर भुगतान करके एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाए रखें। क्रेडिट ब्यूरो की व्यवस्था होने से, जिम्मेदार ग्राहक ऋणदाताओं से बेहतर शर्तों पर शीघ्र और आकर्षक सेवाएं प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा किया गया डिफॉल्ट क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य में क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता प्रभावित हो सकती है। फेडरल बैंक ग्राहक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को हर महीने या बैंक एवं क्रेडिट ब्यूरो के बीच सहमति से निर्धारित अन्य समयावधि के अनुसार उपलब्ध कराएगा। यदि किसी बिलिंग विवाद की सूचना फेडरल बैंक को दी जाती है, तो बैंक विवाद के समाधान तक क्रेडिट ब्यूरो को संबंधित जानकारी की रिपोर्टिंग निलंबित रखेगा। कार्ड मेंबर यह स्वीकार करता है कि फेडरल बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड मेंबर/ऐड-ऑन कार्ड मेंबर(मेंबर्स) से संबंधित जानकारी, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी भी शामिल है, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी वर्तमान या भावी क्रेडिट ब्यूरो के साथ, बैंक द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त समझे जाने पर, साझा कर सकता है। इस तरह, कार्डधारक ऐसी जानकारी को उक्त क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता है तथा यह पुष्टि करता है कि ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से भी इस संबंध में आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली गई है। ऐसी संस्थाएं बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं को संसाधित जानकारी या डेटा अथवा उनसे संबंधित प्रोडक्ट भी उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां, क्रेडिट सूचना कंपनियां या कोई अन्य संस्था शामिल है, जिसे उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्रित करने, संकलित करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से **RBI** द्वारा स्थापित और अधिकृत किया गया हो।

11. आप बैंक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट सत्यापन या रेफरेंस की जांच, कार्ड ऑन-बोर्डिंग, कार्ड जारी करने, अपने हितों की सुरक्षा आदि के उद्देश्यों से, आपसे/कार्ड की इन सामान्य शर्तों से और/या अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य थर्ड पार्टी के साथ किए गए किसी अन्य समझौते से संबंधित सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेज का प्रकटीकरण कर सके।
12. आप बैंक या उसके प्रतिनिधियों को यह अधिकृत करते हैं कि वे आपके नियोक्ता, बैंकर या किसी अन्य स्रोत से संपर्क कर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और/या सत्यापित करने के लिए अधिकृत होंगे।
13. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह आवश्यकता पड़ने पर ऐसी जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**), आयकर प्राधिकरणों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या किसी अन्य सरकारी अथवा नियामक प्राधिकरण/संस्था/विभाग को, जब भी उनसे ऐसी मांग की जाए, प्रकट कर सके। आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि कार्ड इन सामान्य शर्तों के नियमों एवं शर्तों के पालन या देय भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, बैंक आपके नाम का सत्यापन, साझा करने तथा उपर्युक्त प्राधिकरणों—जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियां, डेटा बैंक एवं कलेक्शन एजेंसियों सहित अन्य थर्ड पार्टी के समक्ष प्रकटीकरण कर सके।
14. आप द्वारा बैंक को यह अधिकृत करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि वह आपकी नवीनतम व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी ('**PII**'), जिसमें पैन कार्ड नंबर सहित परंतु केवल उसी तक सीमित नहीं, को प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय/अधिकृत सूचना ब्यूरो जैसे **CERSAI / CIBIL** या अन्य ऐसी कंपनियों से निरंतर आधार पर जांच कर सके तथा ऐसे **PII** डेटा को अपडेट रखने के उद्देश्य से बिना किसी अतिरिक्त सहमति के बैंक के अभिलेखों में अपडेट कर सके, जिससे बैंक आपको उपयुक्त सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कर सके।
15. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट कार्ड खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी, ग्राहक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की गई कोई अन्य जानकारी, लेन-देन (ट्रांजैक्शन) का विवरण, बैंक के पास सुरक्षित रिकॉर्ड और बैंक द्वारा तैयार की गई या उपलब्ध ग्राहक से जुड़ी अन्य जानकारियों (कस्टमर इनसाइट्स) को क्रॉस-सेलिंग (अन्य उत्पाद बेचने) के उद्देश्य से, और किसी अन्य मार्केटिंग एजेंट/एजेंटों और/या ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) के साथ साझा (disclose) करना, जिनके साथ बैंक ने सेवाओं/उत्पादों को प्रदान करने के संबंध में कोई व्यवस्था की है या की हो, जिसमें बिना किसी सीमा के, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग भी शामिल है।
16. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं (थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स) के साथ ग्राहक की किसी भी जानकारी को साझा करना, और ग्राहक की पात्रता (एलिजिबिलिटी) का मूल्यांकन करने के लिए उसका क्रेडिट स्कोर/रेटिंग

प्राप्त करना (fetch), जिसके आधार पर बैंक कोई पूर्व-स्वीकृत (प्री-अप्रूव्ड) ऋण सुविधा प्रदान कर सके, या समय-समय पर बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सके।

17. आप द्वारा बैंक को यह अधिकृत करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि बैंक द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक की पात्रता का आकलन करने के उद्देश्य से, क्रेडिट सूचना कंपनियों (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों) से निरंतर आधार पर अपना क्रेडिट स्कोर/रिपोर्ट और ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
18. आप आगे यह स्वीकार करते हैं कि यदि निर्देशित/ आवश्यक हो, तो बैंक को ऐसी सभी जानकारी/दस्तावेज आदि किसी भी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष प्रकट करने का अधिकार होगा।
19. प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर (आपकी या आपके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित), बैंक कार्ड को कैसिल कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड खाते में संपूर्ण बकाया राशि तथा कार्ड के उपयोग से हुए वे सभी अतिरिक्त शुल्क, जो अभी तक कार्ड खाते में बिल नहीं किए गए हैं, तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे। आपके संबंध में ऐसी जानकारी जिस बैंक, संस्था या निकाय से प्राप्त हुई है, बैंक उसका नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
20. आप उपर्युक्त जानकारी के संबंध में गोपनीयता, निजता और गोपनीय अधिकार के विशेषाधिकार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।

असाइनमेंट/ सिन्डोरिटाइजेशन

आप स्पष्ट रूप से मानते और स्वीकार करते हैं कि बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपके बकाया एवं देय राशियों को, पूरा या आंशिक रूप से, तथा बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर (जिसमें यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि बैंक किसी भी क्रेता, असाइनी या ट्रांसफर प्राप्त करने वाले पक्ष की ओर से आपके खिलाफ कार्यवाही कर सके) किसी भी थर्ड पार्टी को बेच, असाइन या ट्रांसफर (जिसमें लिखित या अन्य माध्यम से वित्तीय दस्तावेज जारी करना भी शामिल है) कर सकता है। बैंक आपको बिना रेफरेंस या लिखित सूचना दिए भी इसे ट्रांसफर या असाइन कर सकता है, और ऐसा असाइनमेंट या ट्रांसफर आपको उस थर्ड पार्टी को एकमात्र क्रेडिटर के रूप में या बैंक के साथ ज्वॉइंट क्रेडिटर के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन बैंक को यह अधिकार रहेगा कि वह उस थर्ड पार्टी की ओर से इन शर्तों के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखे तथा आपके बकाया और देय राशियों को उस थर्ड पार्टी को अदा करें या उन्हें समायोजित करें, जैसा कि बैंक उचित समझे। यदि बैंक को अपने अधिकार लागू करने या बकाया राशि वसूलने में कोई खर्चा आता है, तो वह खर्च आपके खाते से लिया जाएगा।

अन्य शर्तें

8. यदि बैंक कार्ड से संबंधित किसी भी मामले में आपके द्वारा दिए गए मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश अथवा पूछताछ के प्रत्युत्तर में सद्भावना में कार्य करता है, तो आप बैंक की ऐसी सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी हानि, क्षति, दायित्व, खर्च आदि के संबंध में कोई दावा या आरोप करने के अधिकारी नहीं होंगे, तथा आप इस संबंध में बैंक को उत्तरदायित्व से मुक्त रखने के लिए सहमत होंगे।
9. कार्ड की इन सामान्य शर्तों के तहत आपकी जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कार्ड खाते में बकाया राशि का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो जाता है।
10. यदि कार्ड मेंबर दिवालिया हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, या मुख्यकार्डधारक की मृत्यु हो जाए, तो कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि के साथ ऐसे शुल्क भी तुरंत पूर्ण रूप से बैंक को देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे जो अभी बिल में नहीं आए हैं। यदि मुख्य कार्ड मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति से कार्ड का बकाया चुकाया जाएगा, और ऐसे बकाया की वसूली में हुए सभी खर्च, जिनमें कानूनी शुल्क और अन्य व्यय शामिल हैं, भी उसी से दिए जाएंगे। जब तक आप भुगतान नहीं कर देते, तब तक बैंक अपनी वर्तमान दर से फाइनैस शुल्क लगाता रहेगा।

11. किसी भी सरकारी/नियामक प्राधिकरण के निर्देश पर कार्ड खाता निलंबित किया जा सकता है। सरकारी/नियामक प्राधिकरणों के निर्देशानुसार, कार्ड का पूरा बकाया तुरंत देय माना जाएगा और कानून के अनुसार बैंक उसकी वसूली कर सकता है तथा आपको उसका भुगतान तुरंत ही करना होगा।
12. बैंक, समय-समय पर, **Scapia** से परामर्श करके, इन शर्तों एवं नियमों में पूर्णतः या आंशिक रूप से नए नियम जोड़ने और/या उनमें बदलाव करने का अधिकार रखेगा, और ऐसे संशोधनों की सूचना आपको लिखित रूप में **SMS** या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आप ऐसे बदलाव मानने के लिए बाध्य होंगे, जब तक कि ये बदलाव लागू होने से पहले कार्ड खाते की समस्त बकाया राशि का पूरा भुगतान न कर दिया जाए तथा कार्ड को कैंसिल करने के लिए बैंक को वापस न कर दिया जाए या उसे दो भागों में काटकर नष्ट न कर दिया जाए।
13. बैंक, **Scapia** से परामर्श कर, इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आपको उपलब्ध किसी भी नई सुविधा या फीचर को जोड़ने या वापस लेने का अधिकार रखेगा।
14. प्रकाशन के समय प्रकाशित समस्त जानकारी सही एवं पूर्ण मानी जाएगी। यदि प्रिंट होने के बाद इसमें कोई बदलाव होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक या **Scapia** की नहीं होगी।

सेट-ऑफ का अधिकार / बैंक का संपत्ति पर अधिकार

यदि आप किसी भी कारण से कार्ड की सामान्य शर्तों के अनुसार बकाया राशि का निपटान करने में देर करते हैं या असमर्थ रहते हैं, तो बैंक अपने सामान्य ऋणाधिकार और/या सेट-ऑफ के अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसी बकाया राशि को किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति (चल और अचल संपत्ति दोनों) से वसूल कर सकता है जो समय-समय पर बैंक के पास हों। इसमें टर्म डिपॉजिट में रखी राशि और/या बैंक के अन्य खातों में मौजूद राशि, संपत्ति, परिसंपत्तियां (चल और अचल दोनों), प्रतिभूतियां, स्टॉक्स, शेयर, धनराशि आदि शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, चाहे वे मुख्य कार्ड सदस्य या ऐड-ऑन कार्ड सदस्य (सदस्यों) की हों और बैंक के सुरक्षित संरक्षण में रखी गई हों या अन्यथा, और चाहे वे वर्तमान में बैंक के पास हों या भविष्य में बैंक के पास आए।

अधिकार का त्याग/ स्वीकृति

कार्ड की इन सामान्य शर्तों या किसी अन्य समझौते/दस्तावेज में कोई गलती होने पर यदि बैंक अपने किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में विलंब करता है या उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो इससे बैंक के अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय प्रभावित नहीं होंगे और न ही इसे उस अधिकार के त्याग, क्षमा या मौन स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा। साथ ही, बैंक द्वारा किसी गलती पर कोई कार्रवाई या निष्क्रियता या मौन रहने पर बैंक या **Scapia** के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और बैंक या **Scapia** को आगामी या समान गलती पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार रहेगा।

मध्यस्थता का प्रावधान

4. बैंक और कार्डधारक के बीच होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न या इसके किसी भी पहलू से संबंधित या इससे जुड़े किसी भी आशय, अर्थ या प्रभाव या पक्षों के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। यह मध्यस्थता, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियम के नियमों के अनुसार होगी या किसी एकल मध्यस्थ, मध्यस्थता संस्था या ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) सुविधा प्रदान करने वाले किसी संस्था/प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती है। मध्यस्थता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 29B में उल्लिखित फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। एकल मध्यस्थ/ मध्यस्थता अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय कार्डधारक/कार्डधारकों के लिए कानूनी रूप से अंतिम और मान्य होगा।
5. विवाद होने पर, प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगा जिसमें मध्यस्थता प्रावधान का हवाला दिया जाएगा और उस व्यक्ति का नाम एवं विवरण दिया जाएगा जिसे वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, या विवाद को किसी मध्यस्थता संस्था या किसी ODR सुविधा प्रदान करने वाले संस्था/प्लेटफॉर्म को सौंपने का सुझाव दिया जाएगा, जिसका नाम नोटिस में उल्लिखित होगा। यदि दूसरा पक्ष प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थ के चयन से सहमत नहीं है, तो दूसरे पक्ष को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसे लिखित रूप में प्रभावित पक्ष को सूचित करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते, तो यह मान लिया जाएगा कि दूसरा पक्ष

प्रभावित पक्ष के प्रस्ताव से सहमत है और प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, या विवाद को उस मध्यस्थता संस्था या ODR सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को भेजा जाएगा, जिसका नाम नोटिस में दिया गया है।

6. मध्यस्थता में 'विवाद' शब्द का मतलब है, जब उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) अपने लोन/क्रेडिट सुविधा का समय पर भुगतान नहीं करता या इस समझौते या स्वीकृति पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को प्रभावित पक्ष माना जाएगा।
5. यदि दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गए मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण से वह काम नहीं कर सकता है, तो दोनों पक्ष उसी प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। नए नियुक्त मध्यस्थ को यह अधिकार होगा कि वह पहले वाले मध्यस्थ द्वारा छोड़े गए चरण से मध्यस्थता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
6. मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान नीचे बताए गए प्रावधानों में बताए गए स्थानों पर होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। इस मध्यस्थता के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई शुरू करनी हो, तो वह केवल उस स्थान पर स्थित सक्षम न्यायालयों में ही की जाएगी, जो अनुसूची में दिए गए हैं।
8. एकल मध्यस्थ/ मध्यस्थ अधिकरण के पास यह अधिकार भी होगा कि वह उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) द्वारा या उनके पक्ष में प्रस्तुत किसी भी सुरक्षा पर निर्णय दे। एकल मध्यस्थ / मध्यस्थ अधिकरण को यह अधिकार भी होगा कि वह विवाद के निपटारे तक, उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) और बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार कोई भी अंतरिम आदेश पारित करें।
9. ऊपर कही गई किसी भी बात के बावजूद, इस मध्यस्थता धारा में शामिल कोई भी प्रावधान उन विवादों या दावों पर लागू नहीं होगा जो ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के मौद्रिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आप इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में Scapia किसी भी ऐसे विवाद और/या कार्यवाही का पक्षकार नहीं होगा।

मध्यस्थता का स्थान नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	वह स्थान जहां ग्राहक रहता है / ग्राहक का संचार पता	मध्यस्थता की जगह
1	केरल में रहने वाला ग्राहक	एर्नाकुलम
2	तमिलनाडु में रहने वाला ग्राहक	चेन्नई
3	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाला ग्राहक	बैंगलोर
5	महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में रहने वाले ग्राहक	मुंबई
6	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिज़ोरम में रहने वाले ग्राहक	कोलकाता
7	पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाले लोग	नई दिल्ली

अधिकार क्षेत्र और लागू कानून

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उनके बीच किसी भी विवाद के मामले की सुनवाई केवल एर्नाकुलम के न्यायालय में ही होगी। हालांकि, मध्यस्थता का विकल्प चुनने से पहले, दोनों पक्ष कानून के तहत अपने पास मौजूद किसी भी अन्य उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समझौता भारत के कानूनों के अधीन है।

संदर्भ

यदि किसी भी एक जेंडर की बात की जाएगी तो उसमें सभी जेंडर शामिल माने जाएंगे, और एकवचन या बहुवचन का जिक्र संदर्भ के अनुसार बदल सकता है।

स्वीकृति

5. आपने कार्ड की सभी सामान्य शर्तों एवं धाराओं और **MITC** को पढ़ और समझ लिया है, और आप यहां दी गयी सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
6. आप यह स्वीकार करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित शर्तें एवं अन्य दस्तावेज आपको आपकी समझ की भाषा में समझाए गए हैं और आपने विभिन्न धाराओं का पूरा मतलब समझ लिया है।
7. कार्ड का उपयोग करने का मतलब है कि आप कार्ड के सामान्य नियमों और **MITC** में दी गई शर्तों को मानते हैं।
8. आप किसी भी संशोधन सहित कार्ड के सामान्य नियम, **MITC** और क्रेडिट कार्ड से संबंधित अन्य दस्तावेजों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यदि आप फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का लगातार उपयोग करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने नए संशोधित नियम स्वीकार कर लिए हैं।

Scapia लॉयल्टी प्रोग्राम

अपने **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके, आप **Scapia** लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। **Scapia** लॉयल्टी प्रोग्राम को नीचे दी गई तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाएगा (**Scapia** द्वारा प्रबंधित):

3. **Scapia** कॉइन्स
4. **Scapia** के लाभ

2. Scapia कॉइन्स

Scapia कॉइन्स को जमा किया जा सकता है और बाद में **Scapia** प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जैसे, फ्लाइट्स, होटल, बसें आदि या समय-समय पर **Scapia** द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, **Scapia** कॉइन्स का उपयोग समय-समय पर **Scapia** ऐप में दिखाए जाने वाले अन्य आकर्षक ऑफर्स के लिए भी किया जा सकता है।

1.4 Scapia कॉइन्स प्राप्त करें

3. कार्ड से किये गए लेन-देन पर मिले रिवॉईस में स्टेटमेंट की तारीख पर 1 रिवॉईस के बदले 1 **Scapia** कॉइन मिलेगा।
4. बोनस कॉइन्स: आप गैर-वित्तीय लेनदेन पर भी **Scapia** कॉइन्स कमा सकते हैं, जैसे कि किसी दोस्त को रेफर करना, कार्ड को एक्टिवेट करना जैसे कुछ कार्यों को पूरा करना आदि। बोनस कॉइन्स पाने के लिए नियम एवं शर्तें समय-समय पर **Scapia** द्वारा निर्धारित की जाएंगी और इन्हें **Scapia** ऐप में दिखाया जाएगा।

1.5 Scapia कॉइन्स का इस्तेमाल करें

- 3 आप **Scapia** कॉइन्स का इस्तेमाल **Scapia** ऐप पर फ्लाइट, होटल, बस, ट्रेन और वीजा बुकिंग या ऐप पर उपलब्ध किसी अन्य सेवा के लिए कर सकते हैं।
- 4 जब आप **Scapia** कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके **Scapia** खाते में जमा कुल कॉइन्स से अपने आप घटा दिए जाएंगे।

1.6 Scapia कॉइन्स का मूल्य:

Scapia कॉइन्स का मूल्य समय-समय पर **Scapia** के द्वारा बदला जा सकता है। कॉइन्स के मूल्य में किसी भी बदलाव की सूचना एक महीने पहले दी जाएगी। फिलहाल, **Scapia** कॉइन्स का मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया गया है।

विवरण	Scapia कॉइन्स का मूल्य
Scapia ऐप पर फ्लाइट और होटल/स्टे, बस की बुकिंग और किसी भी अन्य सेवाओं के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए	5 Scapia कॉइन = ₹1

Scapia कॉइन्स से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें:

क. रिवॉइर्स को **Scapia** कॉइन्स में बदलने पर, आपके कॉइन्स का बैलेंस **Scapia** ऐप पर दिखाई देगा। आप अपने जमा किए गए **Scapia** कॉइन्स को भी **Scapia** ऐप पर देख सकते हैं।

ख. **Scapia** कॉइन्स की वैधता 36 महीने है, नीचे बताई गयी परिस्थितियों को छोड़कर:

- यदि 365 दिनों से अधिक समय तक **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो जमा किए गए **Scapia** कॉइन्स रद्द हो जाएंगे।
- यदि कोई कार्ड मेंबर **Scapia** कॉइन्स का उपयोग करके बुक की गई फ्लाइट/होटल बुकिंग को कैंसिल करता है, तो **Scapia** कॉइन्स को समय-समय पर **Scapia** द्वारा बहाल किया जा सकता है।

ग. यदि कार्ड मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तक जमा किए गए लेकिन उपयोग न किए गए **Scapia** कॉइन्स रद्द कर दिए जाएंगे।

घ. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड की सदस्यता के बंद/समाप्त होने पर, कार्ड मेंबर के खाते में बचे किसी भी **Scapia** कॉइन्स को रद्द कर दिया जाएगा।

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्डधारक उन विशेष लाभों का उपयोग कर सकेंगे जो **Scapia** द्वारा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में प्रदान किए जाते हैं।

2. Scapia के लाभ:

Scapia फेडरल क्रेडिट कार्डधारक उन विशेष लाभों का उपयोग कर सकेंगे जो **Scapia** द्वारा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में प्रदान किए जाते हैं।

2.1. डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज के मुफ्त उपयोग की सुविधा:

क. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड मेंबर्स को भारत के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट लाउंज का उपयोग मुफ्त में करने की सुविधा दी जाएगी। लाउंज की पूरी सूची आप [यहां](#) देख सकते हैं।

ख. पात्रता: सभी एक्टिव **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारक निर्धारित कोटा के अनुसार मुफ्त लाउंज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में मुफ्त लाउंज के उपयोग की सुविधा खत्म हो जाती है, तो आपको लाउंज प्रदाता द्वारा तय किए गए शुल्क के अनुसार प्रवेश शुल्क देना होगा। मुफ्त लाउंज उपयोग का कोटा इस तरह तय किया गया है।

श्रेणी	मुफ्त लाउंज उपयोग की संख्या	पात्रता की शर्त
डोमेस्टिक लाउंज का असीमित उपयोग	असीमित	- इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको एक बिलिंग साइकिल में Scapia फेडरल क्रेडिट कार्ड पर ₹20,000 खर्च करने होंगे। मुफ्त में डोमेस्टिक लाउंज का असीमित उपयोग बनाए रखने के लिए आपका कार्ड हर महीने एक्टिव होना चाहिए। - किसी विशेष कार्ड वेरिएंट पर किए गए लेन-देन सिर्फ उसी वेरिएंट की पात्रता के लिए मान्य होंगे और दोनों वेरिएंट के लेन-देन जोड़कर नहीं माने जाएंगे। - ग्राहक द्वारा चयनित एक स्टेटमेंट साइकिल में किए गए लेन-देन - अगर आप इस सुविधा के लिए पात्र हैं, तो बिलिंग तारीख के 3-5 दिन बाद आपके लिए अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस चालू कर दिया जाएगा।

ग. यह इस तरह काम करता है

14. इस प्रोग्राम के तहत, योग्य कार्डधारक सभी शामिल एयरपोर्ट लाउंज में प्रवेश ले सकेंगे, जो नीचे दिए गए किसी एक प्रवेश प्रकार पर निर्भर करेगा:

प्रवेश का तरीका **1**: केवल योग्य कार्डधारक के लिए मुफ्त प्रवेश (अगर उनके पास **Scapia** ऐप से जारी वैध लाउंज **QR** कोड हो)। सभी योग्य कार्डधारकों के पास **Scapia** ऐप और लाउंज पर वैध बोर्डिंग हो। एयरपोर्ट पर ग्राहक के मौजूद होने पर ही **QR** कोड जेनरेट होगा और ग्राहक को अपना लोकेशन एक्सेस देना होगा।

प्रवेश का तरीका **2**: पात्र कार्डधारक लाउंज में दिखाए गए शुल्क के अनुसार अपने लिए या अपने साथ आने वाले अतिथियों के लिए भुगतान करके प्रवेश ले सकते हैं (भुगतान सीधे भागीदार एयरपोर्ट लाउंज में योग्य कार्डधारक द्वारा किया जाएगा)।

15. लाउंज में प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा और कुछ लाउंज में सीटें सीमित हो सकती हैं।

16. भागीदार एयरपोर्ट लाउंज रुकने की अधिकतम सीमा (सामान्यतः **2** या **3** घंटे) लागू करने का अधिकार रख सकते हैं। यह प्रत्येक लाउंज ऑपरेटर के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, और वह अधिक समय तक वहां रुकने के लिए शुल्क लगा सकता है।

17. लाउंज का **QR** कोड तभी बनाया जाएगा जब ग्राहक एयरपोर्ट पर मौजूद होगा। **QR** कोड बनाने से पहले ग्राहक अपना लोकेशन एक्सेस देने के लिए सहमत होता है। ग्राहक **Scapia** की मोबाइल एप्लिकेशन पर बोर्डिंग पास अपलोड करने के लिए भी सहमति देता है।
18. लाउंज एक्सेस देने से पहले, **QR** पर यात्री का नाम बोर्डिंग पास/टिकट पर दिए गए नाम से मिलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य कार्डधारक ही लाउंज में प्रवेश ले रहा है।
19. लाउंज स्टाफ के पास अधिकार है कि वह किसी भी ग्राहक का लाउंज विजिट समय से पहले ही समाप्त कर दे या ऐसे किसी ग्राहक को प्रवेश न देने का निर्णय ले, जो नशे में हो, गलत व्यवहार कर रहा हो, या लाउंज की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो, तथा किसी भी वैधानिक, नियामक या एयरपोर्ट की नीतियों का उल्लंघन कर रहा हो, जिनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां या अग्नि सुरक्षा नियम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
20. **Scapia** लाउंज **QR** कोड किसी और को नहीं दिया जा सकता, इसे रिफंड नहीं किया जा सकता और न ही इसे पूरा या आंशिक रूप से बदला जा सकता है। यदि वाउचर को किसी अन्य **Scapia** या गैर-**Scapia** सदस्य को दिया या उससे बदला जाता है, तो **Scapia** भविष्य में वाउचर जारी करने का अधिकार रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. किसी भी परिस्थितियों में, **Scapia** को किसी भी ऐसे विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा जो किसी भागीदार एयरपोर्ट लाउंज में या उसके उपयोग से संबंधित हो, जिसमें, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, योग्य कार्डधारक और अन्य मेहमान, एयरपोर्ट यूजर, या भागीदार एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर और/या उनके कर्मचारी/प्रतिनिधि के बीच के विवाद शामिल हो।
22. इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले लाभ स्वतंत्र ऑफर हैं और इन्हें किसी भी तरह से भागीदार एयरपोर्ट लाउंज के किसी अन्य ऑफर के साथ जोड़ा या मिलाया नहीं जा सकता। हम यह स्पष्ट कर दें कि इस प्रोग्राम के लाभ नकद में बदले या रिडीम नहीं किए जा सकते।
23. भागीदार एयरपोर्ट लाउंज का फ्लाइट्स की घोषणा करने या मेहमानों को बोर्डिंग समय याद दिलाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। योग्य कार्डधारक अपने फ्लाइट टिकट पर दिए गए बोर्डिंग समय का पालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसलिए, हम यह स्पष्ट कर दें कि किसी भी कारण से किसी योग्य कार्डधारक द्वारा फ्लाइट बोर्ड न करने की स्थिति में, **Scapia** किसी भी परिस्थितियों में जिम्मेदार नहीं होगी।
24. योग्य कार्डधारक इस बात को मानते और स्वीकार करते हैं कि नियमों और नीतियों का पालन न करने पर उन्हें प्रवेश से रोका जा सकता है या लाउंज खाली करने के लिए कहा जा सकता है, और हम यह स्पष्ट कर दें कि वे इसके लिए **Scapia** के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे और उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।
25. लाउंज में मुफ्त प्रवेश केवल कार्डधारक को ही मिलेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, लाउंज प्रदाता क्रेडिट कार्ड पर दिखाए गए नाम को बोर्डिंग पास के साथ मिलाकर देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के साथ आने वाले मेहमानों के लिए लाउंज में प्रवेश लाउंज प्रदाता द्वारा तय सामान्य कीमतों के अनुसार चार्ज किया जाएगा।
26. लाउंज में प्रवेश की नियम एवं शर्तें समय-समय पर **Scapia** ऐप के माध्यम से बताई जाएंगी।

2.2. जीरो फॉरेक्स मार्क-अप:

क. विदेश में खरीदारी करते समय **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारकों से विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.3. **Scapia** ऐप पर ट्रेवल बुकिंग से संबंधित लेन-देन के लिए नो कॉस्ट **EMI** उपलब्ध है

क. **Scapia** फेडरल क्रेडिट कार्ड धारक **Scapia** ऐप पर की गई ट्रेवल बुकिंग पर नो कॉस्ट **EMI** सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ख. यह सुविधा केवल **Scapia** ऐप पर किए गए फ्लाइट/होटल बुकिंग से जुड़े लेनदेन के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें बाद में **EMI** में बदला जाएगा।

ग. नो कॉस्ट **EMI** सुविधा केवल उन लेनदेन के लिए उपलब्ध होगी जिनकी अवधि 3 महीने या **Scapia** और बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई अवधि हो।

घ. इस लाभ के अंतर्गत, ग्राहकों से **EMI** पर सामान्य ब्याज दरों के अनुसार ब्याज लिया जाएगा। हालांकि, क्रेडिट कार्ड पर लगाई गयी मासिक ब्याज के बराबर राशि **Scapia** द्वारा कार्डधारक के खाते में क्रेडिट की जाएगी, जिससे यह ग्राहकों के लिए नो कॉस्ट बन जाएगा।

उ. नो कॉस्ट **EMI** लाभ के अंतर्गत ब्याज में छूट केवल बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज पर ही उपलब्ध है। इसे **EMI** सुविधा में बदलने के लिए ग्राहकों से लागू प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड

17. एक कार्ड खाते में कई अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, और प्रत्येक कार्ड खाते के लिए अतिरिक्त कार्डों की संख्या बैंक तय करेगा। प्रत्येक योग्य मुख्य क्रेडिट कार्ड के लिए अधिकतम **3** अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।
18. मुख्य क्रेडिट कार्ड और अतिरिक्त कार्ड के लिए एक ही साझा क्रेडिट लिमिट तय की जाएगी। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की लेन-देन सीमा मुख्य कार्डधारक के विवेकाधिकार पर तय होगी और यह मुख्य क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा तक हो सकती है।
19. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड लेन-देन से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे ट्रांज़ैक्शन **OTP**, अतिरिक्त कार्डधारक को भेजी जाएगी।
20. मुख्य कार्डधारक के अनुरोध और अनुमति मिलने पर, बैंक अपने विवेकाधिकार से अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड आवेदकों को अतिरिक्त कार्ड जारी कर सकता है।
21. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड पर हुए सभी लेनदेन और शुल्क, ब्याज आदि के लिए मुख्य कार्डधारक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ये सभी शुल्क आपके स्टेटमेंट में शामिल होंगे।
22. कार्ड के ये सामान्य नियम अतिरिक्त कार्ड सदस्यों पर भी लागू होंगे। मुख्य कार्डधारक यह सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त कार्डधारक ने उसे कार्ड के इन सामान्य नियमों और **MITC** पर सहमति देने का अधिकार दिया है, और वह किसी भी ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा जो अतिरिक्त कार्डधारक द्वारा इन शर्तों के विपरीत किया जाए।
23. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्चों पर भी रिवॉई पॉइंट्स मिलेंगे। मुख्य कार्डधारक यह तय कर सकता है कि ये रिवॉईस किसे मिलेंगे, और वह कार्ड स्टेटमेंट जारी होने के बाद हर महीने इस वितरण को बदल सकता है। ऐसे बदलाव अगली कार्ड स्टेटमेंट साइकिल से लागू होंगे।
24. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड से जुड़े सभी ट्रांज़ैक्शन अलर्ट और **OTP** केवल अतिरिक्त कार्डधारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
25. बैंक के पास अधिकार है कि वह बिना कोई सूचना या कारण बताए, अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं/लाभों में बदलाव कर सकता है। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए मुख्य कार्ड से जुड़ा खाता एक्टिव होना चाहिए। खाते के 'एक्टिव' होने की परिभाषा फेडरल बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार है।
26. बैंक के पास अधिकार है कि वह बिना कोई सूचना या कारण बताए अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
27. अतिरिक्त कार्डधारक के पास मुख्य कार्डधारक का पते या मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी बदलने का अधिकार नहीं है।
28. पोस्ट ट्रांज़ैक्शन **EMI** सुविधा केवल मुख्य कार्डधारक के लिए ही उपलब्ध होगी। हालांकि, अतिरिक्त कार्डधारक मर्चेट पर भुगतान के समय चेकआउट और इन-स्टोर **EMI** का लाभ उठा सकता है।

29. मुख्य कार्डधारक बैंक को लिखित अनुरोध और सहमति देकर अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड बंद करने या इसकी सुविधा वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध मिलने पर, बैंक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या निष्क्रिय करने का अनुरोध मुख्य या अतिरिक्त कार्डधारक दोनों कर सकते हैं।
30. यदि किसी कारण से मुख्य कार्ड खाता बंद हो जाता है या खाते की स्थिति सामान्य से बदलती है, तो अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की सुविधा और लाभ अपने आप बंद हो जाएंगे।
31. लाउंज और एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए खर्च की सीमा अतिरिक्त कार्डधारक के लिए भी समान ही होगी। इन लाभों का इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त कार्डधारक को अलग से निर्धारित राशि खर्च करनी होगी।
32. फेडरल बैंक किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, इन सभी शर्तों में जोड़, बदलाव या परिवर्तन कर सकता है या इस योजना को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य ऑफर से बदल सकता है, या इसे पूरी तरह वापस ले सकता है। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड से होने वाले किसी भी कार्य, दावे, मांग, नुकसान, लागत, शुल्क, खर्च या दावे के लिए आप फेडरल बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड सुविधा से या उससे जुड़े या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी विवादों, यदि कोई हों, का समाधान यहां दिए गए विवाद समाधान नियमों के अनुसार किया जाएगा।

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के नियम

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की ये नियम एवं शर्तें ("**वर्चुअल कार्ड के नियम**") बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधाओं पर लागू होते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। वर्चुअल कार्ड के ये नियम कार्ड के सामान्य नियम, बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के नियम एवं शर्तों, तथा बैंक के बचत खाते के नियम एवं शर्तों (सभी मिलकर "**मुख्य शर्तें**") के अतिरिक्त हैं और बदलते नहीं हैं। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की इन शर्तों और मुख्य शर्तों के बीच कोई भिन्नता हो, तो इन वर्चुअल कार्ड शर्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां दिए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिन्हें इस दस्तावेज़ में परिभाषित नहीं किया गया है, के अर्थ वही होंगे जो मुख्य नियमों में दिए गए हैं।

12. "**खाता/खाते**" का मतलब वही होगा जो इसे मूल शर्तों में बताया गया है।
13. "**वर्चुअल क्रेडिट कार्ड**" का मतलब है एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड, जो मुख्य कार्ड मेंबर के मौजूदा खाता पर जारी किया जाता है। यह अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड मुख्य कार्ड मेंबर के खाते के लॉगिन सेक्शन में एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में बनाया और स्टोर किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए कोई फिजिकल प्लास्टिक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
14. "**वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर**" का मतलब है वह मुख्य कार्ड मेंबर जिसे फेडरल बैंक द्वारा मुख्य शर्तों और इन वर्चुअल कार्ड शर्तों के तहत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया हो।
15. मुख्य कार्ड मेंबर को डिफॉल्ट रूप से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कार्ड मेंबर अपनी पसंद की क्रेडिट लिमिट के भीतर ऑनलाइन लेन-देन कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह लेन-देन उनके क्रेडिट कार्ड की कुल क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होगा।
16. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए आवेदन करके और इसे स्वीकार करने पर, यह माना जाएगा कि मुख्य कार्ड मेंबर ने वर्चुअल कार्ड के इन नियमों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है।
17. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन-देन का विवरण स्टेटमेंट में दिखाई देगा और मुख्य कार्ड मेंबर को अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। मुख्य कार्ड मेंबर को फिजिकल कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च का भुगतान एक ही बार में करना होगा।
18. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के मुख्य विवरण जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, **CVV** आदि केवल खाते के लॉगिन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन में ही दिखाई देंगे। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट मुख्य कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बराबर होगी। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को हॉट लिस्ट/ब्लॉक करने के लिए खाते के लॉगिन सेक्शन में दिए गए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन में उपयुक्त विकल्प पर क्लिक किया जा सकता है। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर अपने खाते/खातों को बंद कर देता है, तब भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी रहेगी।

19. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेन-देन के लिए ही किया जा सकता है। कार्ड मेंबर यह जानता है कि ऑनलाइन लेन-देन के मामले में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से की गयी खरीदारी करने पर कार्ड मेंबर द्वारा खरीदारी के समय चार्ज स्लिप साइन नहीं की जाएगी। इसी तरह, कार्ड मेंबर स्वीकार करता है कि ऐसी किसी भी खरीदारी या चार्ज की प्रामाणिकता या वैधता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, किसी भी कारण से, कार्ड मेंबर बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और किसी भी परिस्थिति में बैंक और/या **Scapia** को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
20. यदि कोई मर्चेन्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इंकार करता है, तो इसके लिए फेडरल बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा केवल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देने के लिए है और यह लेन-देन की क्वालिटी, सुरक्षा या वैधता की गारंटी नहीं देती।
21. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का मतलब है कि कार्ड मेंबर वर्चुअल कार्ड की इन शर्तों और मुख्य शर्तों को स्वीकार करता है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेंबर इन शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए बाध्य / जिम्मेदार होगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्क का समय पर भुगतान किया जाए। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा एक विशेष सुविधा है, जिसके लिए बैंक समय-समय पर निर्धारित शुल्क/मूल्य लागू कर सकता है।
22. मुख्य नियमों के सभी पहलू, जिन्हें यहां विशेष रूप से नहीं बताया गया है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होंगे।

वर्जन (13) 20.06.2026